छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च, 2020

(फाल्गुन 16, शक सम्वत् 1941)

[अंक 10]

Website copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020

(फाल्गुन 16, शक् संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कभी-कभी सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आता है, वैसे ही आज दुर्लभ संयोग है । प्रश्नकाल एक मिनट लेट से शुरू हो रहा है, एक । दूसरा, दुर्लभ संयोग यह है कि प्रश्न सूची में इधर का हमारा एक भी प्रश्न नहीं है, तीसरा दुर्लभ संयोग यह है कि हमारा एक भी ध्यानाकर्षण नहीं है ।

आपसे यह आग्रह है कि शून्यकाल में आप लोग तीन चार विषय उठाने के लिए मौका देंगे । हम लोग प्रश्नकाल में थोड़ा चाय-वाय पीकर कहीं से आते हैं । आप व्यवस्था करवा देंगे तो ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- प्रश्नकाल केवल प्रश्न पूछने का नहीं है, सुनने का भी है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक । आप लोगों का तो मैं सुनता ही हूँ ।

रायगढ़ जिले में किसानों को फसल बीमा का भुगतान

1. (*क्र. 1386) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने किसानों का कितने-कितने रकबे का बीमा किन-किन बीमा कंपनियों से करवाया गया है ? तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में कितने किसानों को फसल बीमा के तहत कितनी राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि

---

†[1] परिशिष्ट "एक"

रायगढ़ जिले में कितने किसानों का बीमा हुआ था, कितना भुगतान कर दिया गया है । शेष राशि बची थी, कितने बीमित किसानों का का अभी तक बीमा नहीं हुआ है, राशि नहीं मिली है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, वर्ष 2017-1918 और 2018-2019 के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है तो आपको लिस्ट में दे दिया गया है । अब आप अगर जानकारी देंगे कि बीमित किसान शेष है तो उसमें कार्यवाही करेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का जो बीमा होता है, वह बीमा एक तो बिना सलाह के किया जाता है, दूसरा एक ही किसान का दो बार बीमा होता है, एक बार सोसायटी के द्वारा और एक बार बैंकों के द्वारा यह विसंगति है, क्या इसे दूर कर लिया जायेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी, प्रायमरी सोसायटी से जो किसान खाद या बीज खरीदता है, लेन-देन करता है, वह ऑलरेडी खरीद में बीमित हो जाता है । प्रायमरी सोसायटी में अगर बीमित हो गया तो मैं नहीं समझता कि बैंक के द्वारा कोई डायरेक्ट...।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, जब के.सी.सी. लेते हैं, 2-2 परशेंट कटता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- दोनो अलग-अलग बात हुई । अगर के.सी.सी.बैंक से ट्रांजेक्शन करता है तो अलग बात हुई । प्रायमरी सोसायटी से लेन-देन करता है तो अलग बात हुई है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही जमीन का दो बार बीमा होना, राशि एक बार मिलना, यह तो किसानों के साथ अन्याय है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि फसल बीमा की राशि एक ही बार काटी जाये, चाहे वह बैंक से हो, चाहे वह सोसायटी से हो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- यह चल ही रहा है, जब से चल रहा है । 2 परशेंट खरीफ में लिया जाता है, प्रायमरी सोसायटी में लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- अजीत जोगी जी । एक और सवाल ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल पूछना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष जी, दो गांव के एक सीमा है, एक मेड़ है । मेंड के उस पार एक एकड़ का एक लाख मिलता है, मेंड़ के इस पार चार हजार मिलता है, ऐसी विसंगति क्यों ? मेरे पास लिस्ट है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सच्चाई है । अध्यक्ष जी, यह होता ही है । राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला है, आपका जांजगीर जिला है और वहीं से लगा हुआ आपका बलौदाबाजार जिला है, क्राप कटिंग के आधार पर तय होता है, इसलिए यह विसंगति संभव है ।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- क्या यह विसंगति आने वाले समय में दूर कर ली जायेगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं समझता हूँ कि आधार ही अगर क्राप कटिंग है तो यह विसंगति दूर नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, आप शुरू करें ।आपका प्रश्न ।

समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु जारी नई नीति

2. (*क्र. 565) श्री अजीत जोगी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिये राईस मिलर्स के लिये नई नीति जारी की गई है ? यदि हां, तो जानकारी देवें ? (ख) क्या इस नीति के लागू होने के पश्चात् कस्टम मिलिंग में चावल की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए जारी की गई कस्टम मिलिंग नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कस्टम मिलिंग में चावल की गुणवत्ता हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार कस्टम मिलिंग चावल लिया जा रहा है.

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मेरा सवाल भी सरल है और मंत्री भी सक्षम हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । एक दु:खद विरोधाभाष है, धान की मिलिंग को लेकर । एक तरफ खरीदी केन्द्रों में बहुत बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ बड़ी मिलों को छोड़ दें, मध्यम और जो छोटी मिले हैं, वह कई बार 7-7, 8-8 दिनों तक बंद रही है, क्योंकि उनको धान नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि परिवहन में बहुत बड़ा कुप्रबंधन है। खरीदी केन्द्र से धान नहीं उठ रहा है और छोटी और मध्यम मिलों में जब धान जाता है, उसका चावल बनता है तो वह चावल भी नहीं उठता। तो उस मिल के पास फिर स्थान नही रह जाता कि नया धान ले पाये। मैं मंत्री जी से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो कुप्रबंधन चल रहा है, आपकी नीति में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, वहां खरीदी केन्द्र में इतना ज्यादा धान है वह नही उठ रहा है, अंकुरित हो गया है। अभी मैं केवल महासमुंद के आंकड़े लेकर आया हूं, महासमुंद के केन्द्रों में 38 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 42 प्रतिशत उठाव हुआ है, बाकी धान वहीं पड़ा है। पानी गिर गया, अंकुरित हो रहा है। कम से कम मेरा अंदाज है कि 50 से 60 करोड़ का धान अंकुरित हो चुका है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने प्रशासन को जो इस परिवहन को डील कर रहा है उसको कैसे और कड़ा करेंगे ताकि धान खरीदी केन्द्र से धान उठे और छोटी मिलों में धान का चावल बनने के बाद उनकी मीलें बंद होने की स्थिति न आये? इस विरोधाभाष को आप कैसे दूर करेंगे? अगर परिवहन का ठेकेदार ठीक से नहीं उठा रहा है तो क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप उसी रेट पर अन्य ट्रक वालों को अनुमति देंगे कि वह जल्दी से जल्दी खरीदी केन्द्र से धान उठाये और मिलों से चावल उठाये?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय जोगी जी को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि ये अवसर बहुत मुश्किल से आता है कि जब पुराने गुरूजी प्रश्न करें और चेला उत्तर दे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरूजी कभी पुराने नहीं होते, ये अवसरवादी लोग पुराने कह देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा उनको कहना पड़ेगा। गुरू तो गुरू ही रहेगा।

श्री अजीत जोगी :- नहीं, बिल्कुल नहीं बोले हैं। हमारी गुरू-शिष्य परंपरा कायम है।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, कबीर साहेब ने कहा है कि गुरू बिना ज्ञान न उपजे, गुरू बिन मिलै न मोक्ष। इसका ध्यान रखियेगा।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, गुरू गुड़ रह गये, चेला....। (हंसी)

श्री अजीत जोगी :- ये आपको गलतफहमी है। गुरू अभी गुड़ नहीं हुआ है, अगले चुनाव में पता चल जायेगा। गुड़ कह रहे हो ना, पता चल जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- आईये-आईये, स्वागत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दुर्भाग्य से आपके जितने चेले हैं वह शक्कर बनने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजीत जोगी :- अभी साजा जाना चालू नहीं किया हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय जोगी जी ने जो प्रश्न पूछा है वह धान खरीदी की नीति के बारे में पूछा है और उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछा है। वैसे यह तो प्रश्न से उद्भुत नहीं होता, लेकिन पुराने हैं इसलिए मैं बता देता हूं।

श्री अजीत जोगी :- नीति से संबंधित है, इसलिए उद्भुत होता है।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने धान खरीदी केन्द्र में धान का उठाव नहीं हो रहा है और मिलर्स को धान नहीं मिल रहा है उसके बारे में चिंता व्यक्त की है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उपार्जन केन्द्र से परिवहनकर्ता द्वारा धान के उठाव की मात्रा 19 लाख 46 हजार टन हो चुकी है और उपार्जन केन्द्र से कुल धान उठाव की मात्रा 61 लाख 74 हजार मीट्रिक टन है तो हम देखेंगे कि उपार्जन केन्द्र में कुल धान का उठाव लगभग 75 प्रतिशत आ चुका है।

श्री अजीत जोगी :- 83 का 75 प्रतिशत कैसे हुआ ?

श्री अमरजीत भगत :- 43 लाख का टोकन कट गया है और 71 लाख 74 हजार मीट्रिक टन वहां से उठाव हुआ है।

श्री अजीत जोगी :- कटा है, उठा नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आप देखेंगे कि इतनी मात्रा में बम्फर खरीदी हुई है। बम्फर खरीदी में जहां पर पिछली सरकार द्वारा 70 से ऊपर खरीदी नहीं जाती थी, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसमें 82 लाख 82 हजार लाख मीट्रिक टन।

श्री अजय चंद्राकर :- हजार लाख मीट्रिक टन।

श्री अमरजीत भगत :- 82 लाख हुआ तो हजार नहीं जायेगा।

श्री अजीत जोगी :- 82 लाख।

श्री अमरजीत भगत :- 82 लाख 82 हजार मीट्रिक टन जो है, खरीदी हुआ है। यह बम्फर खरीदी है। पूरे देश में यहां की सर्वाधिक खरीदी है। जब बड़े पैमाने पर खरीदी होती है, तो स्पेश नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा विलंब संभावित है। लेकिन कहीं पर भी धान भीगने का, सड़ने की जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है और सब काम निर्बाध रूप से चल रहा है।

श्री अजीत जोगी :- असत्य है। अध्यक्ष जी, आप चाहें तो मैं अंकुरित धान का फोटो दिखा दूंगा। महासमुंद के कार्यकर्ताओं से मैं लिया हूं..।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, आपने कहा है कि पचास साठ करोड़ का धान अंकुरित हो गया है। मैं आपकी तरफ से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ?

श्री अजीत जोगी :- 50 करोड़ का है।

अध्यक्ष महोदय :- 50 करोड़ का ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के साथ ही उसके रख रखाव के बारे में विभाग के द्वारा समितियों को निर्देश दिया जाता है। उसके लिये राशि भी आबंटित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, क्या 50 करोड़ का धान अंकुरित हो चुका है ?

श्री अमरजीत भगत :- वहां पर त्रिपाल, वहां पर जो भी रख रखाव के निर्देश पहले से दिये रहते हैं, तो इसमें हो ही नहीं सकता है कि 50 करोड़ का या 50 लाख का जो बोल रहे हैं कि उतना का धान भीगा है। अगर कहीं का बोल रहे हैं तो आप बता दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन आप जो महासमुंद का बोल रहे हैं, उसमें दो समितियों का परिवहन के लिये कल ही अनुमति दिये हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर धान भीग रहा है, खुले में है और नुकसान हो रहा है।

श्री अजीत जोगी :- मेरे पास वहीं का फोटो है। आप कहें तो मैं पटल पर रख दूं।

श्री अमरजीत भगत :- समिति की पूरी जवाबदारी रहती है, उनको पूरा निर्देश रहता है कि उस धान का रख रखाव ठीक से करें।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, आपका प्रश्न हो गया ?

श्री अजीत जोगी :- नहीं-नहीं, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि दो एक छोटे-छोटे पूरक प्रश्न हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न। आप पहले प्रश्नकर्ता हैं तो करिए।

श्री अजीत जोगी :- वहां पर कमी है। मैं आशा करता हूं, बहुत सक्षम मंत्री हैं। इसमें अधिकारियों वगैर: की खिंचाई करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। जो ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा है, वहां पर दूसरो ट्रकों को आजादी दे दीजिए कि वे धान उठा लें। जल्दी से जल्दी खरीदी केन्द्र से भी आ जाये और जल्दी से जल्दी मिलों से चावल उठ जाए। अभी आपके आरो काटने में एक-एक सप्ताह का विलंब हुआ। एक-एक सप्ताह तक आरो नहीं काटे गये। यह भी आपको बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चलिये।

श्री अजीत जोगी :- मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय :- मिसेस जोगी का भी प्रश्न क्रमांक 7 में प्रश्न है। आप उनके लिये भी समय छोड़ दीजिए।

श्री अजीत जोगी :- पति-पत्नी का एक साथ आना बहुत अच्छा लक्षण है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मगर उनको भी समय दे दीजिए न। आप ही पूछ रहे हैं तो समय नहीं बचेगा।

श्री अजीत जोगी :- अभी देखिये, दो या चार मिनट ही बस हुए हैं। 42 लाख टन धान की खरीदी हुई। इसमें से 36 लाख टन का चावल केन्द्र खरीदेगा और लगभग उतने ही धान का चावल आप स्थानीय रूप से कन्जयूम करेंगे। थोड़ा सा भी आपने कहा है कि टोकन का भी धान खरीदेंगे तो अगर आप गणना करेंगे तो आपके पास 10 लाख टन अतिरिक्त धान बचेगा। उसके उपयोग के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि पेट्रोल बनायेंगे, जो कि संभव नहीं है। फिर कहा, इथेनाल बनायेंगे, तो अभी तक धान से इथेनाल कहीं नहीं बना है। अगर यहां बनाना चालू करेंगे तो भी कम से कम दो साल उसकी फैक्ट्री से इथेनाल बनाने में लगेगा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो दस लाख टन एक्स्ट्रा धान का उपार्जन हो रहा है, अच्छी बात है इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। उसको आप कैसे कन्जयूम करेंगे ? दूसरे राज्यों में आप इसलिए नहीं बेच पायेंगे क्योंकि हमारा धान सबसे महंगा है। 2500 रूपये में कहीं नहीं खरीदा गया। केवल हमने खरीदा है और उसको आप ओपन नीलामी भी नहीं करेंगे और करेंगे तो उसमें बहुत घाटा होगा। एक ही उपाय है कि जो आपकी, हमारी सरकार थी, उस समय हमने धान का चावल बनाया और काम के बदले अनाज योजना में पैसे की जगह चावल दिया, उससे जो श्रमिक है, वह भी खुश होता है उसे दारू पीने के लिए पैसा नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी भी खुश होती है। क्या मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, मंत्रिमण्डल के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो एक्स्ट्रा धान बच रहा है, उसको चावल में परिणित करके, काम में बदले अनाज योजना चालू की जायेगी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी की चिंता वाजिब है और छत्तीसगढ़ में सभी लोग किसान पुत्र हैं, किसानों की जनसंख्या बहुतायत है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है और यहां धान का बम्फर उत्पादन हुआ है। वहां पर धान के उपार्जन और उसके निराकरण के बारे में माननीय जोगी साहब पूछ रहे हैं। नागरिक आपूर्ति निगम को चावल की जो उपार्जन करने का है, उसमें 25.40 लाख मेट्रिक टन, जिसमें हमारा लगभग 38 लाख मेट्रिक टन धान खपत होगा और एफ.सी.आई. में 24 लाख मेट्रिक टन की हमको अनुमति मिली है, उसमें 35 लाख मेट्रिक टन धान का निराकरण हो पाएगा। इसमें कुल मिलाकर, हमारे पास 49.40 लाख मेट्रिक टन चावल का उपार्जन होना है और जिसमें 73 लाख मेट्रिक टन धान का निराकरण होगा। जो शेष हमारे पास बच रहे हैं 82 लाख मेट्रिक टन में वह 9 लाख, 82 हजार मेट्रिक टन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के माननीय खाद्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। चूंकि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में धान की खरीदी करती है और उनकी शर्त थी कि यदि आप एम.एस.पी. में खरीदेंगे तो हम धान का जो चावल बनेगा, उसको लेंगे। उसी शर्त के मुताबिक हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है। वर्ष 2019-20 में कुल खरीदी 82.82 लाख टन से निर्मित होने वाली चावल की मात्रा है 56.86 लाख मेट्रिक टन। जिसमें राज्य के पी.डी.एस. की आवश्यकता 25.40 लाख मेट्रिक टन है और जिसमें से जो शेष चावल बचता है वह 30 लाख 46 हजार मेट्रिक टन, जो सरप्लस है। भारत सरकार के द्वारा 24 लाख चावल के उपार्जन की अनुमति दिये जाने से उपार्जित धान का लगभग 73 लाख मेट्रिक टन धान का निराकरण हो पा रहा है शेष के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि जो हमारा शेष चावल है, उसको भी लें।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नहीं लेंगे। आप चावल बनाईये और काम के बदले अनाज योजना चालू करिये। ये बहुत लोकप्रिय योजना थी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें क्या-क्या हो सकता है। जो शेष 9.82 लाख मेट्रिक टन धान है उसका निराकरण किस प्रकार से हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और उसमें जो सभी ऑप्शन्स हैं उस पर विचार चल रहा है। सदस्य की चिंता भी वाजिब है जब इसमें कोई निर्णय होगा तो हम इस दिशा में पहल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सत्यनारायण शर्मा।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न बच गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आज आपका इसमें लगा है तो इसी सदन में शून्यकाल में बोलिएगा। उनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको मिलर्स ने अनुरोध किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी के महीने में 20 दिन आरो नहीं कटा। बारिश हुई है और बारिश होने से धान भीगा है। हमारे छत्तीसगढ़ में अरवा क्वालिटी का धान होता है हम लोग उसका उपयोग करते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किस विषय पर भाषण दे रहे हैं ? आपने क्या चर्चा प्रारंभ कर दी है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप शून्यकाल में पूछ लीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि फरवरी के महीने में 20 दिन आरो क्यों नहीं कटा ? क्यों बंद किया गया, एक कारण ये बता दें और दूसरा बारिश के कारण जो आरवा क्वालिटी का चावल नहीं निकलेगा, कम बनेगा उसके लिए कोई छूट देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। एक का जवाब दे दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.ओ. कट रहे हैं और धान का उठाव जारी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपना रिकार्ड देख सकते हैं, फरवरी में 20 दिन आर.ओ. नहीं कटा था। माननीय मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये सत्यनारायण शर्मा जी। आप जीरो आवर्स में करिये।

<u>कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत क्रय किये गये ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण</u>

3. (*क्र. 1557) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कितने ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण (बेलर) विभाग द्वारा किस दर पर क्रय किये गये हैं ? मेक एवं मॉडल सहित विवरण उपलब्ध करावें ? (ख) उपरोक्त खरीदी का प्रस्ताव किस अधिकारी के द्वारा दिया गया है? क्या इसमें छ.ग. भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण (बेलर) क्रय नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक हैं.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को गौर से देखिये, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है, आप प्रश्न को गौर से देखिये क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि विभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कितने ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण (बेलर) विभाग द्वारा किस दर पर क्रय किये गये हैं ? माननीय मंत्री जी, मैंने वित्तीय वर्ष के लिए नहीं पूछा है, वर्ष 2018-19 के लिए पूछा है। आप उत्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है बल्कि आपको अधिकारियों ने गुमराह किया है। आप जैसे सक्षम प्रभावी मंत्री को गुमराह कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास परचेस आर्डर है, माननीय मंत्री जी 22.11.2019 को 18 ट्रेक्टर खरीदे गये हैं, 31.12.2019 को 16 ट्रेक्टर खरीदे गये हैं, ये वर्ष 2018-19 में ही आते हैं। माननीय मंत्री जी आपका जवाब बिल्कुल गलत आया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे का उत्तर दे दीजिए। किस मॉडल के ट्रेक्टर किस दर में क्रय किये गये ? मेरे प्रश्न के क और ख दोनों का उत्तर दे देंगे तो कृपा होगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो भाग में प्रश्न किया, वर्ष 2018-19 में पूछा तो 2019-19 का आशय ही वित्तीय वर्ष होता है। जिस वित्तीय वर्ष का पूछा गया है, उसमें खरीदी नहीं हुई इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में खरीदी नहीं हुई है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- फिर आपने आर्डर 22.11.2019 को कैसे दिया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा न कि आापने दो भाग में प्रश्न किया, पहले भाग में आप कह रहे हैं कि वर्ष 2018-19 में नहीं, 2018-19 का आशय ही वित्तीय वर्ष है। लेकिन आपने 2019 का जो पढ़कर सुनाया कि इतने ट्रेक्टर खरीदे गये, वास्तविक है। आपने प्रश्न किया, ये ट्रेक्टर भी खरीदा गया, बेलर भी खरीदा गया है। लगभग 34 ट्रेक्टर new Holland 6010 मॉडल खरीदा गया है। आपने कीमत पूछा, 11 लाख 57 हजार 305 प्रति नग ट्रेक्टर खरीदा गया है। 18 बेलर Shaktiman tractor pto operated round baler खरीदा गया, इसकी कीमत 4 लाख 25 हजार 919 प्रति नग है। 24 बेलर Gomadi tractor pto operated round baler खरीदा गया, इसकी कीमत 4 लाख 17 हजार प्रति नग है। स्वीकार करने में कुछ नहीं है, जो आर्डर हुआ है, जो खरीदी हुई है, वह हुई है। लेकिन आपका जो प्रश्न था, 2018-19 का पूछा, उस अवधि की खरीदी नहीं थी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आर्डर है। माननीय मंत्री जी, 22.11.2019 किस अवधि में आयेगा ? आपने 22.11.2019 को 18 ट्रेक्टर और 31.12.2019 को 16 ट्रेक्टर खरीदे हैं, यह 2018-2019 में ही आयेगा। मैंने वित्तीय वर्ष का कहीं रिफ्रेन्स नही दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि 51.4 पी.टी.ओ. एच.पी. ही क्यों खरीदा और इतना मंहगा ट्रेक्टर खरीदने की जरूरत क्या थी? इतना मंहगा ट्रेक्टर खदीरने की किसने सिफारिश की थी और क्या इसके भंडार क्रय नियम का उलंघन नहीं हुआ है ? क्या इसकी खरीदी में कमीशनखोरी नहीं हुई है ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट आरोप है कि किसानों को दिये जाने वाले ट्रेक्टर को 11 लाख रुपये ज्यादा में खरीदा गया है और वह भी 51.4 पी.टी.ओ. एच.पी. का खरीदा गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। यह किसकी सिफारिश में खरीदा? क्या खरीदी के लिए कोई समिति बनी थी? खरीदी के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये थे? माननीय मंत्री जी, यह आपके विभाग में बहुत बड़ा घपला है और अधिकरियों ने किया है। मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करायेंगे और जिन्होंने क्रय किया है, उन दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो स्वीकार किया कि खरीदी की गई। बेलर की जरूरत थी, गोठान बनाये हैं, पैरा इकट्ठा करना था, बेलर की तात्कालिक आवश्यकता थी, हमने तो स्वीकार किया है, लेकिन आप जांच किस मुद्दे पर चाहते हैं?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानो के लिए इतना महंगा ट्रेक्टर, बेलर खरीदा गया, क्या खरीदी के लिए कोई मापदंड तय किये थे? मैंने आपसे पूछा कि 51.4 पी.टी.ओ. एच.पी. ही क्यों खरीदा गया ? क्या इसकी खरीदी के लिए कोई समिति बनी थी? क्या कोई दरों का निर्धारण हुआ था? आपने ये स्पेसीफिकेशन कहां से ले लिया? आपने 51.4 पी.टी.ओ. एच.पी. का स्पेसीफिकशन कहॉं से लिया और यही ट्रेक्टर क्यों खरीदा? जब हमारे देश में और महिन्द्रा और दूसरी कंपनियों के अच्छे ट्रेक्टर मिलते हैं, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसकी कंपनी का विशेषकर क्यों खरीदा गया है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी बड़े मुस्कुराकर गंभीरतापूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनको जाकर एक-बार समझा दीजिएगा । वे सीनियर आदमी हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा तो निश्चित रूप से वे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो जाकर उनको बता दीजिएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय दोनों बातें एक-साथ कैसे होंगी ? ये मुस्कुराएंगे भी और गंभीर भी होंगे तो दोनों एक-साथ कैसे हो सकता है ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वे मुस्कुराते रहेंगे न।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनकी संतुष्टि तक मैं उत्तर दूंगा लेकिन वे चाहते क्या हैं यह तो मेरी समझ में आना चाहिए न ।

अध्यक्ष महोदय :- वे संतुष्ट होना चाहते हैं, आप उनको संतुष्ट कर दीजिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने पर्टिकूलर में क्यों खरीदा ? आपने 51.4 पी.टी.ओ.एच.पी. का ही क्यों खरीदा और इतना महंगा ट्रैक्टर खरीदने के क्या कारण थे ? क्या कोई समिति बनी ? किसकी अनुशंसा पर खरीदा यह बता दें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम के आर.सी. में जो रेट तय हुए हैं उसमें महंगा और सस्ता जैसी कोई बात नहीं है और यह वर्ष 2017 का आर.सी. है उसके आधार पर

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खरीदा गया और आप जो समिति वगैरह की बात कह रहे हैं तो तकनीकी समिति होती है उसकी अनुशंसा पर खरीदा गया । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल वाजिब है, हमने भी देखा कि भंडार क्रय नियमों का पालन होना था लेकिन वह नहीं हुआ है । जल्दबाजी में खरीदा गया या किस तरीके से ऐसी खरीदी हुई, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन यह स्पष्ट है कि भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं हुआ है और आप जांच की बात कह रहे हैं तो केवल इस ट्रैक्टर खरीदी की नहीं बल्कि साल भर में जितनी भी खरीदी यहां की गयी होगी, मैं अपने ए.पी.सी. को इसके लिये जांच के लिये अधिकृत करता हूं, हम इसकी पूरी जांच करायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) कहीं भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी जैसी बात आप कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है । खरीदी होनी चाहिए, वास्तविक कीमत में होनी चाहिए । इसकी जांच करायी जायेगी और कार्यवाही की जायेगी ।

<u>खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू आहार पोषण आहार की आपूर्ति</u>

4. (*क्र. 1442) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया एवं अं. चौकी विकासखंड में किन-किन महिला समूह द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं निर्माण कर रेडी टू ईट पोषण आहार की आपूर्ति की जा रही है ? (ख) शासन द्वारा इन महिला समूह को आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट पोषण आहार का निर्माण करने हेतु वर्ष 2019 में क्या क्या सामग्री प्रदाय की गई ? कृपया महिला समूह का नाम पता एवं शासन द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का उल्लेख करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) एवं (ख) जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी में किन-किन महिला समूह द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं निर्माण कर रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण कर रहा है जिसमें मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 12 महिला समूह द्वारा रेडी टू ईट संचालित कर रही है जबकि खुज्जी विधानसभा में टोटल 16 सेक्टर है । जिसमें 4 सेक्टर रिक्त पद बता रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि अभी तक 4 सेक्टर क्यों रिक्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- 4 सेक्टर रिक्त क्यों हैं, आप वहीं तक सीमित रहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

†[2] परिशिष्ट “दो”

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि सालभर से आचार संहिता के कारण यह प्रक्रियाधीन है इसलिये अभी इसमें विलंब हुआ है ।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह बच्चों के निवाले की बात है । चूंकि माननीय मंत्री जी 1 साल बता रही हैं तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि मेरे ही माध्यम से कल्लू बंजारी छुरिया ब्लॉक के सेक्टर को चूंकि मैं ही कार्यवाही कर रही थी जो लगभग 4 वर्ष हो गये लेकिन इन 4 वर्षों में अभी तक संचालित करने के लिये ज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया और ज्ञापन निकालने के बाद अभी तक चयन क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारी सरकार को अभी 14 महीने ही हुए हैं । पूर्व सरकार ने वर्ष 2015-16 से वैकल्पिक व्यवस्था के कारण उन्हें दिया गया था तो पूर्व सरकार द्वारा पता नहीं क्यों इसे नहीं किया गया लेकिन हमारे आने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद उसमें विज्ञापन भी हो गया और यह प्रक्रिया में है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप महिलाओं के बीच में नहीं आयेंगे । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात पूर्व सरकार की है ।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज और यह जानना चाहूंगी कि महिला समूह जो रेडी टू ईट का निर्माण कर रही हैं तो क्या किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से या किसी ग्रामीण के माध्यम से क्या कभी शिकायत हुई थी और यदि शिकायत हुई थी तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत नहीं हुई है । समाचार माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी, वहां जांच करवायी थी और रेडी टू ईट जहां अमान्य पाया गया था तो उनसे वसूली भी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू । हो गया । उनसे बात कर लीजियेगा ।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि अंबागढ़ चौकी का जो कोरूटोला है वहां पर कई बार शिकायत होने के बाद आज भी कार्यवाही नहीं की गयी । माननीया मंत्री जी, क्या जो शिकायत किये हैं तो ऐसे समूह के ऊपर क्या आप कार्यवाही करवायेंगे ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- आप शिकायत का वो दे दीजिये, मैं दिखवा लूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

5. (*क्र. 1434) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा में प्रश्नावधि तक कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? क्या इनका संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने केन्द्र भवन विहीन हैं ? आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20 में किस-किस मद द्वारा किया गया है ? पूर्ण-अपूर्ण निर्माण कार्य की जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : डोंगरगांव विधानसभा में प्रश्नावधि तक 410 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 43 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. जी हां 14 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 04 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये पर लिए गए निजी भवनों में किया जा रहा है. 26 आंगनबाड़ी व 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है. विस्तृत जानकारी प्रपत्र "अ" पर ††[3] संलग्न है. वर्ष 2019-20 में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है. वर्ष 2019-20 के पूर्व वर्षों में स्वीकृत भवनों के पूर्ण-अपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि 14 आंगनबाड़ी केन्द्र और 4 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के भवन में हो रहा है और 26 आंगनबाड़ी केन्द्र और 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं । ये भवन अभी तक क्यों नहीं बन पाए, नहीं बनने का क्या कारण है ? किंतु-परंतु मैं पूछना नहीं चाहता । मैडम जी ने 11 फरवरी को मेरे क्षेत्र में मेला मडई महोत्सव में गई थीं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न किरये ।

श्री दलेश्वर साहू :- उस समय भी मेरी मांग थी । क्या मंत्री महोदया भवन विहीन केन्द्रों के भवन बनाने की अभी घोषणा करेंगी ? आपसे करबद्ध और निवेदन के साथ यही प्रार्थना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके लिए तो बजट में पैसा ही नहीं है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमारे पास बजट में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है । क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी 100 आंगनबाड़ी केन्द्र का बजट में है और हम आपकी मांग यहां जरूर पूरी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

[3] †† परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, घोषणा हो गई ना ?

अध्यक्ष महोदय :- हां, हो गई ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, वे घोषणा करने के लिए तैयार हैं, उनसे करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गई घोषणा, आपने सुनी नहीं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सदस्य ने जो आवेदन दिये थे, उनका परीक्षण कराकर जहां आवश्यकता होगी वहां हम आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत करा देंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- ओके ।

<u>प्रदेश में हितग्राहियों को चना वितरण</u>

6. (*क्र. 1688) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेशवासियों को चना वितरण करने की क्या योजना है व 01 फरवरी, 2020 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को किस दर पर चना का वितरण किया जा रहा है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) 01 जनवरी, 2019 से 11.2.2020 के मध्य किन-किन माह में चना का वितरण किया गया है व किन-किन माह में चना का वितरण नहीं किया गया है व क्यों ? माहवार जिलेवार जानकारी देवें? (ग) क्या ये सही है कि प्रश्नांश "ख" की अवधि में चना क्रय हेतु निविदाओं का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन समाचार पत्रों में किया गया था ? कितने निविदाकारों ने भाग लिया व सफल निविदाकार कौन थे व उसकी दरें क्या थी ? क्या यह सही है, कि इन निविदाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या शिकायत प्राप्त हुई थी व उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डधारियों को अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों में प्रतिमाह 02 किलो चना प्रति राशनकार्ड वितरण किया जा रहा है. 01 फरवरी, 2020 की स्थिति में 25,05,980 राशनकार्डधारी परिवारों की 05 रुपये प्रति किलो की दर पर चना का वितरण किया जा रहा है. जिलेवार जानकारी ‡[4] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक तथा सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक चना का वितरण किया जा रहा है. माह जुलाई 2019 में 14 जिले में कुछ उचित मूल्य दुकानों में पूर्व माहों के शेष बैकलॉग चने का वितरण किया गया. माह अगस्त 2019 में बस्तर संभाग के जिलों में चना का वितरण किया गया. माह अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के दौरान पीडीएफ के अंतर्गत वितरित किए जा रहे चना की पात्रता की समीक्षा राज्य शासन के

‡[4] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समक्ष विचाराधीन होने के कारण जिलों में चना का वितरण प्रभावित रहा. माहवार, जिलेवार जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ग) जी नहीं. प्रश्नांकित अवधि में चना क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, कुपोषण एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके निदान के लिए जो चना और गुड़ दिया जाता है, इसके वितरण को देखकर लगता है कि आपके विभाग में आपकी कोई पकड़ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप भाषण मत दीजिए प्रश्न करिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 3 महीने तक के चना का वितरण क्यों नहीं किया गया बताइए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले आप बताइए कि आप कुपोषण से मुक्त हुए या नहीं हुए ।

श्री अजीत जोगी :- चना चखना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका विकल्प ढूंढो ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सीधे-सीधे इसका जवाब दीजिए कि चना 3 महीने वितरण नहीं हुआ ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, चने का वितरण बस्तर सहित अनुसूचित विकासखंडों में और माडा क्षेत्रों में किया जा रहा है । इस योजना के तहत जो जिसकी चिंता माननीय सदस्य कर रहे हैं कि कुपोषण से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इसका वितरण किया जा रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि माह जुलाई 2019 से 14 जिलों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, जांजगीर, कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया के कुछ उचित मूल्य दुकानों में पूर्व माह का बचा हुए शेष चने का हमने वितरण किया और अगस्त माह में बस्तर संभाग के 7 जिलों में हमने बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर में ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसीफिक...।

श्री अमरजीत भगत :- सुन तो लीजिए, मैं उसको भी बता रहा हूं । माह सितम्बर से सभी 85 विकाखंडों में और 9 माडा क्षेत्रों में किया जा रहा है । जिसके बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि माह अप्रैल से जून तक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको आप बहुत देर से खोज रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माह अप्रैल से जून तक ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी पकड़ आपके विभाग में नहीं है मंत्री जी ।

श्री अमरजीत भगत :- अप्रैल से जून तक जो वितरण नहीं हो सका । वह नीतिगत निर्णय के कारण और योजना की समीक्षा के कारण । इसके बाद निर्बाध रूप से चल रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, इतना महतवपूर्ण है, उसमें भी चर्चा, समीक्षा, नीतिगत् । वे बताएं कि कौन सी समीक्षा है, जिसके कारण 3 महीने तक नहीं दिया गया । इसके बाद अन्य प्रश्न भी हैं । बताइए कौन सा नीतिगत कारण है आपका ?

श्री अमरजीत भगत :- पूर्ववर्ती सरकार नाफेड (NAFED) के माध्यम से चना खरीद रही थी । उसका अनुबंध 2018-19 का 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए किया गया था । जब इस योजना की समीक्षा की गई तो इनके समय में ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह नीतिगत निर्णय क्या है यह बताइए, इनके समय उनके समय पर मत टालिये । वह नीति बताइए बड़ा प्वाइंटेड प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको समय दीजिए ना ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनने देंगे तब न। आपको तो नहीं सुनने की बीमारी है। (हंसी) आप पूरा-पूरा सुनेंगे तब तो बताउंगा कि आपके समय में चना 4876 रूपया 34 पैसा प्रति क्विंटल में आया और जब हमने इसकी समीक्षा की तो यह 3529 रूपये क्विंटल में आ गया। हमने भारत सरकार से 15 रूपये प्रति क्विंटल जो सब्सिडी के लिए है, उनसे इस योजना का लाभ लिया और छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें 48 करोड़ रूपये का फायदा हुआ। इस योजना की समीक्षा और नीतिगत निर्णय के कारण रूका हुआ था। अब निर्बाध रूप से जारी है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने खरीदी की ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनायी? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने किस दर पर कौन-सी प्रक्रिया अपनायी और चना खरीदा?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जो पूछा गया तो मंत्री जी ने कहा कि नीतिगत निर्णय लिये। उन्हें यह बताना चाहिए न कि हम चना की खरीदी नहीं कर पायें और चना की खरीदी को बंद कर दिये थे, इस कारण नहीं दे पाये। यह बात आनी चाहिए। आप कहां नीतिगत निर्णय की बात कर रहे हैं? आपकी कौन सी नीतिगत प्रक्रिया है? जो चना बंटा नहीं है। आदिवासी ऐरिया में हम चिंता कर रहे हैं कि चना बंटना चाहिए। जो चना नहीं बंटा है, आप उसकी चिंता किये तो नहीं बंटा है तो कब तक बंटेगा ? चना क्यों नहीं बंटा? उसका कारण क्या है? आप इसमें नहीं जा रहे हैं। आप नीतिगत निर्णय की ओर जा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- डॉ. जी को फायदा घाटा बता रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी योजना की समीक्षा और किस प्रकार से राज्य सरकार को उसमें राजस्व की बचत हो, उसकी चिंता राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी है। जिस योजना के तहत इन्होंने वर्ष 2018-19 में नेफीट के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें चना वितरण नेफीड के माध्यम से किया जा रहा था, इसका समय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक था। इसमें जब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमने समीक्षा की और नेफीट से इन्हें पुन: प्रक्रिया में आने को कहा तो उसमें 4800 रूपये क्विंटल इनके समय बिक रहा था, यह सप्लाई का रेट था और जब हमने समीक्षा की तो उसमें 3500 रूपये में चना मिलना शुरू हुआ। हम केन्द्र सरकार से 15 रूपये प्रति किलो की दर से उसमें हम सब्सिडी लिये। राज्य सरकार को इसमें 48 करोड़ का फायदा हुआ। मैं सोचता हूं कि जो योजना की समीक्षा की गई और जो प्रक्रिया अपनायी गई, वह उचित है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने समीक्षा की और प्रक्रिया अपनायी। तो आपने खरीदी की कौन सी प्रक्रिया अपनायी? क्या आपने टेंडर की प्रक्रिया की या डायरेक्ट खरीदी की।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। माडा पॉकेट में चना नहीं बंटा है। माडा पॉकेट क्षेत्र में चना का वितरण नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 महीने में चना क्यों नहीं बंटा? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- चना क्यों नहीं बंटा? माडा पॉकेट में चना बंट ही नहीं रहा है। (व्यवधान) फिर से चना कब बंटेगा? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी जवाब दें। माडा पॉकेट क्षेत्र में चना बंट ही नहीं रहा है। सरकार बोलती है कि कुपोषण से मुक्ति के काम आता है। सरकार यह स्पष्ट करे। प्रदेश का राजस्व मंत्री का यह कहना है कि चना चखने के काम आता है और ये बोलते हैं कि कुपोषण से मुक्ति का काम आता है। पहले आप स्पष्ट कीजिए कि कुपोषण से मुक्ति के लिए काम आता है या चखने के काम आता है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- भागने-भागने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- चना बंट ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर एक साथ दे दूंगा, पहले उधर के वे सब एक साथ प्रश्न कर लें। मैं उत्तर एक साथ दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा पॉकेट में 6 महीने से चना नहीं बंटा है और आपसे हम प्रश्न किये थे तो उत्तर में 20 हजार लोगों को एक साथ भर्ती किया गया था। बाकी कुपोषण की संख्या आ रही है। डॉ. साहब जब मुख्यमंत्री थे तो actual में कुपोषण को देखकर चना के वितरण का कार्यक्रम बनाया गया था। इनकी सरकार आने के बाद यह बंद कर दिया और उसे चखना बना दिया। आज चना का वितरण नहीं हो रहा है। माडा पॉकेट में 6 महीने से चने का वितरण नहीं हुआ। मुख्य विषय यह है कि चना का वितरण होना चाहिए। मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 महीने का स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी तो 3 महीने का स्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- यह गंभीर मामला है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। माडा पॉकेट में 6 महीने से नहीं बंटा है। 3 महीने का मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। चना का वितरण होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- दोषी के ऊपर कार्रवाई करिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- चना क्यों नहीं बंटा है ? माडा के क्षेत्र में क्यों नहीं बंटा है मंत्री जी यह बताएं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन सब दोषियों की जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माडा का तो 6 महीने से नहीं बंटा है। (व्यवधान) मंत्री जी अभी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 3 महीने में नहीं बंटा। (व्यवधान) माडा में तो 6 महीने में नहीं बंटा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गंभीर लापरवाही हुई है। दो-तीन महीने चना नहीं बंटा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदल :- इसमें सदन की कमेटी से जांच करवाइये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गंभीर लापरवाही हुई है। दो-तीन महीने चना नहीं बंटा तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- इसमें सदन की कमेटी से जांच करवाईये।

श्री अमरजीत भगत :- सुन तो लीजिये। चन्द्राकर जी, सुन तो लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर यह आदिवासियों से जुड़ा प्रश्न है। मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:40 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

प्रदेश में पशुधन सुरक्षा हेतु निर्मित गौठान

7. (*क्र. 1449) डॉ. रेणु जोगी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पशुधन सुरक्षा के लिए कुल कितने गौठानों का निर्माण किया गया है ? निर्माण में कितनी राशि किन किन मदों से व्यय की गयी हैं ? जिलेवार वर्णन दें ? (ख) क्या इन गौठानों के लिये गौठान समिति का गठन किया गया है ? यह समिति क्या ग्रामसभा के अनुमोदन से बनायी गयी है ? या सदस्यों के शासन द्वारा मनोनित किया गया है ? (ग) गौठानों में शेड निर्माण में कितनी राशि व्यय की गयी है ? गौठानों के लिये कितने चरवाहों को रखा गया है ? जिलेवार वर्णन दें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में पशुधन सुरक्षा के लिए कुल स्वीकृत 5084 गौठानों में से 1771 गौठानों का निर्माण पूर्ण किया गया है. निर्माण में कुल राशि रु. 17132.65 लाख का व्यय विभिन्न मद में किया गया है. जिलेवार एवं मदवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) गौठानों के लिये गठित गौठान समिति का गठन ग्रामसभा के अनुमोदन पश्चात माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किया गया है. (ग) गौठानों में शेड निर्माण में कुल राशि रु. 591.55 लाख व्यय की गयी है. संचालित गौठानों के साथ 2632 चरवाहे सम्बद्ध है. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट में †[5] संलग्न है.

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान है। उससे पशुधन की सुरक्षा के लिए गौठान निर्माण करने और उनकी सुरक्षा करना है। मैं आपका और इस सदन का ध्यान कृषि मंत्री जी के लिए आकर्षित करना चाहूंगी कि रायपुर जो हमारी राजधानी है और दुर्ग जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। बालोद और जशपुर में किसी भी चरवाहें को इन गौठानों में सम्बद्ध नहीं किया गया है। मेरा जो गृह जिला बिलासपुर है, वहां मात्र 3 चरवाहों को पशुधन की सुरक्षा के लिए सम्बद्ध किया गया है। तो ऐसे में पशुधन की सुरक्षा कौन करेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आदरणीया भाभी जी ने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उतनी गंभीरता से उत्तर दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- घुमाईयेगा मत।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---
[5] † परिशिष्ट-"पांच"

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सब रिकार्ड है।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाभी जी बिलासपुर का पूछ रही हैं आपके पास कहां से रिकार्ड आ गया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा रिकार्ड है। इसमें पूरा रिकार्ड है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आप, आज की कार्यसूची पढ़ लीजिये। मोहन मरकाम जी का एक संकल्प चरवाहों को पैसा मनरेगा से दिया, करके है। आप उसके बाद बताईयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये। प्रश्नकाल को 42 मिनट हो गये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ये आकड़ें जो दिए गए हैं, जिन जिलों का आदरणीया भाभी जी ने जिक्र किया कि चरवाहे सम्बद्ध नहीं किये गये हैं। अभी जो गौठान निर्मित हुए हैं, 10 हजार रूपया प्रति गौठान समिति को देने का शुरूआत किए हैं। कुछ गौठानों में चरवाहों को सम्बद्ध किया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- पहले भाभी जी का प्रश्न हो जाये, फिर आपके भी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिनका जिक्र आदरणीया भाभी जी ने किया है।

अध्यक्ष महोदय :- भाभी जी के प्रश्न को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सवाल ही नहीं है। किसी को करना भी नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनके लिए जोगी जी का समय ले लिया है। जोगी जी भी नहीं करेंगे।

श्री अजीत जोगी :- नहीं, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, आप भी डिस्टर्ब मत करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय जोगी जी को अधिकार है, लेकिन वह नहीं करेंगे तो अलग बात है। भाभी जी ने कहा होगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गांव की जो परम्परा है, जो गाय चरवाहा होते हैं, उनको गांव में हीं किसानों के द्वारा भुगतान किया जाता है। गौठान से उनको सीधा सम्बद्ध नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार से उत्तर आया है। लेकिन जिन गौठानों को सम्बद्ध किया गया है, उनमें चरवाहों को शामिल किया गया है। अभी हम लोगों ने गौठान समितियों को 10 हजार रूपया महीना देना शुरू किया है। कुछ जिलों में डी.एम.एफ. फंड से और कुछ जिलों में हमारे विभाग के माध्यम से देना शुरू किया है। जो गौठान समितियां वहां नियुक्त हैं, उनके द्वारा अब शुरू किया जायेगा।

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 11 जिलों में गौठान निर्माण के लिए 1 रूपये की भी राशि खर्च नहीं की गई है। अर्थात् उन जिलों में गौठान शेड का निर्माण नहीं किया गया है। ये जिले बलौदा बाजार, धमतरी, कबीरधाम,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राजनांदगांव, जांजगीर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर हैं। तो बिना शेड के पशुधन को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीया भाभी जी ने दो अलग-अलग प्रश्न पूछा है । गौठान निर्माण के लिए तो आपको जो परिशिष्ट दिया गया है, उसमें राशि खर्च किया गया, उसमें बताया गया कि इन जिलों में मनरेगा से कितना खर्च हुआ, 14 वित्त आयोग से कितना खर्च हुआ, डी.एम.एफ. मद से कितना खर्च हुआ, प्राधिकरण से कितना खर्च हुआ, सांसद और विधायक निधि तथा अन्य निधि से कितना खर्च हुआ ? कुछ जिलों में पक्के शेड बनाए गए हैं, कुछ जिलों में पक्के शेड नहीं बनाए गए हैं, ये सच्चाई है, लेकिन शेड के बारे में भी इन जिलों में, हर गौठान में शेड का निर्माण किया गया है ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूं कि गौठान में उत्पन्न होने वाले गोबर और गौ मूत्र की उचित उपयोग के लिए सरकार की क्या योजना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमेरिका की हावर्ड और अन्य यूनिसर्विटी के बारे में पर्याप्त चर्चा की है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि उसका क्या उपयोग करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (श्री शिवरतन शर्मा की ओर इशारा करते हुए) आप प्रश्न करेंगे तो एक साथ उत्तर दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रश्न करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आज मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी हावर्ड गए थे और हावर्ड में तो आदरणीय अध्यक्ष जी पूरे समय उपस्थित थे, लेकिन ये बात गंभीर है । छत्तीसगढ़ की किसी योजना को माननीय विधान सभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी हावर्ड में परिचयात्मक रूप से भी अगर कोई बात कहें तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और आदरणीया भाभी जी ने प्रश्न किया कि इसके उपयोग के बारे में कोई नीति है क्या ? बहुत सारे गौठानों में शेड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है । हम लोग कहीं मूत्र का भी उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं वर्मी कम्पोज्ड भी बनाने जा रहे हैं, कई जगह गोबर के गमले का निर्माण किया गया, बन चरौदा में तो गोबर से दीए बनाए गए और अकेले बन चरौदा में तो पांच लाख रूपए से अधिक के गोबर से निर्मित दीए बिक्री हुए हैं । जहां-जहां जैसी मांग है, कहीं महिला समिति को जोड़ रहे हैं, कहीं युवा समिति को जोड़ रहे हैं और हम लोग उसको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, यह नीति है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं मद के बारे में पूछना चाहता हूं । क्योंकि हमारा पूरा गांव इससे प्रभावित हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह बोल रहा हूं कि जोगी जी बैठे हैं, कम से कम आज तो छोड़ दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उनका प्रश्न तो पूरा हो गया । अध्यक्ष जी, आप अनुमति देंगे तो मैं पूछ लूं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा । विकास उपाध्याय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार गलत उत्तर दे रही है, ऑन रिकार्ड गलत उत्तर है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 1771 गौठान बनें । राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ा गया कि 1900 गौठान बनें, मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में 1900 गौठान का उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय :- ये प्रश्न से उद्भूत नहीं होता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- (व्यवधान) इसमें 4000 गौठान का उल्लेख है । वास्तव में गौठान कितने बने ? आप एक ही प्रश्न का अलग-अलग जवाब दे रहे हैं तो कौन सी बात सत्य है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जांजगीर सहित 4-5 जिले में भी यह दिक्कत है । जांजगीर-चांपा जिले में भी यह दिक्कत है, गौठानों में कहीं पर शेड नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- भूपेश बघेल जी के भाषण में भी 1900 गौठान का उल्लेख है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में मुख्यमंत्री जी ने जो उल्लेख किया, वह तो सही रहे ।

अध्यक्ष महोदय :- भाभी जी का प्रश्न अकेला है, वहीं तक सीमित रहिए । विकास उपाध्याय अपना प्रश्न करें ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि 14वें वित्त आयोग की राशि को गौठान में खर्च नहीं कर सकते । आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है । पंचायत के जो अधिकार हैं और पंचायत के अधिकार का आपने हनन किया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में पूछ लीजिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में 1900 गौठानों का उल्लेख है, मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में भी है और अभी आप उत्तर में 1771 गौठानों की बात कर रहे हैं । वास्तव में गौठान है कितना, तो कौन सी बात सही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये शून्यकाल का नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रायपुर शहर में समितियों को आबंटित राशन दुकानें

8. (*क्र. 1713) श्री विकास उपाध्याय : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राशन दुकान आबंटन की प्रक्रिया क्या है ? (ख) रायपुर शहर की कितनी समितियों को राशन दुकान आबंटित हैं ? (ग) एक समिति को कितनी दुकान संचालन का अधिकार है ? (घ) कितनी समितियों के पास एक से अधिक दुकान है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) उचित मूल्य दुकानों का आबंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है. प्रावधान की जानकारी ††[6] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) रायपुर शहर में 92 संस्थाओं को उचित मूल्य दुकान आबंटित है. (ग) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधान अनुसार सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में केवल 01 उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी, किन्तु राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु दुकान आबंटन प्राधिकारी विधी मान्य कारण दर्शाते हुए एक से अधिक दुकान आबंटित कर सकेगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार आबंटित दुकानों की संख्या 3 उचित मूल्य की दुकानों से अधिक नहीं होगी. (घ) रायपुर शहर में 29 संस्थाओं को एक से अधिक दुकानें आबंटित है.

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भगत आप उत्तर दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न और कर दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह अलग-अलग जवाब दिया गया है । यदि ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं होगा, मंत्री जी का उत्तर नहीं आएगा, वे जवाब नहीं देंगे कैसे काम चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- 11:50 हो गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 11:50 क्या, प्रश्नकाल 12 बजे तक है । एक ही प्रश्न का अलग-अलग जवाब आ रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न का अलग-अलग उत्तर है। राज्यपाल के अभिभाषण में अलग पढ़वाया जा रहा है, बजट में अलग पढ़ रहे हैं, प्रश्न का उत्तर में अलग बताया जा

[6] परिशिष्ट-छः

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा है । माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्षस महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 92 संस्थाओं में एक से अधिक दुकान संचालित करने की बात आपने कही है । तीन दुकान से ज्यादा संचालित करने वाली संस्थायें कौन-कौन सी है, उसके बारे में मंत्री जी बतायेंगे । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जब प्रश्न का ही जवाब नहीं दे रहे हैं । ठीक है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भगत । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- रायपुर शहर में ... (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा । उसका अर्थ यह नहीं है कि गलत उत्तर हो और माननीय मंत्री जी जवाब न दें । (व्यवधान)

समय :
11:51 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा रायपुर शहर में समितियों को आवंटित राशन दुकानों के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह :- डी.एम.एफ. फण्ड का लगा रहे हैं...व्यवधान हम लोगों लाभ के पैसा को आप इसमें खर्च क्यों करोगे । गांव के छोटे-मोटे काम नहीं हो रहे हैं । आप विधान सभा में 1900 पढ़े हैं और 1700 का जवाब दे रहे हैं । 200 गायब हो गया है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत सिंह :- कौन सा दुकान है, अगर आप कहें तो मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- इसमें तीन से अधिक दुकानें चलाने वाली, इसमें 29 से अधिक दुकान की जानकारी है । आपने संस्था की जानकारी दी है । इसमें तीन दुकान से ज्यादा चलाने वाली संस्था कितनी है । आपसे उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- रायपुर शहर में 17 संस्थाओं को एक-एक दुकान दिया गया है । 9 संस्थाओं को दो-दो दुकान दिया गया है । दो से अधिक वाली जो संस्था है, दो संस्थाओं को है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्री गुलाब कमरो । आप यहीं रायपुर में रहते हैं । आप मंत्री जी के कक्ष में चले जाईये । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है, खाद्य माफिया पूरे प्रदेश के राशन दुकानों पर हावी है । खाद्य माफिया के माध्यम से राशन दुकान का बंदरबांट और उसकी मिलीभगत की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री गुलाब कमरो । (व्यवधान)

श्री वृहस्पत सिंह :- राशन दुकान में पूरे दलाल सक्रिय है । मंत्री जी, एक भी नहीं सुनते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप अलग से पूछ लीजिएगा ।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर राजधानी में ही खाद्य माफिया के माध्यम से गड़बड़ी की जा रही है, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है ।

भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई का रकबा

9. (*क्र. 1119) श्री गुलाब कमरो : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कराए गए घुटरा डायवर्सन, बिहीनाला, सिरीयाखोह डायवर्सन, बदरा जलाशय, मंगनीमाटी डायवर्सन, शैला पत्थर डायवर्सन, बिजली झरिया डायवर्सन से सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे किसानों की संख्या एवं सिंचाई का रकबा की जानकारी से अवगत करावें ? (ख) उक्त डायवर्सन से वर्तमान में सिंचाई हो रहा है या नहीं तथा नहरों की क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) विधानसभा भरतपुर-सोनहत अंतर्गत सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कराए घुटरा डायवर्सन, बिहीनाला डायवर्सन, सिरियाखोह डायवर्सन, बदरा जलाशय, मंजनीमांटी डायवर्सन, शैलापटपर डायवर्सन एवं बिछली झरिया डायवर्सन योजनाओं की रूपांकित, निर्मित सिंचाई क्षमता, सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे किसानों की संख्या व सिंचाई का रकबा की जानकारी ‡[7] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त निर्मित डायवर्सन से वर्तमान में आंशिक सिंचाई हो रही है तथा नहरों की स्थिति अधूरी एवं सुधार योग्य है. दो योजनाओं का कार्य प्रगति पर है. योजनावार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री गुलाब कमरों :- तीन नहरों की जांच कराना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे क्या ?

‡[7] परिशिष्ट "सात"

Uncorrected and unedited/Not for Publication Friday, March 06, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय रविन्द्र चौबे जी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- काहे का जांच कराना है ?

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घुटरा डायवर्सन, बिहीनाला डायवर्सन और सिरीयाखोह डायवर्सन के बारे में जो वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग द्वारा दी गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में इनकी स्थिति यह है कि 1 करोड़ खर्चा किये हैं, जिसमें 7 साल हो गये हैं, 1 किसान को इसमें जानकारी दिये हैं, एक भी किसान को लाभ नहीं हुआ है । तीसरा घुटरा डायवर्सन जिसकी जानकारी 3 करोड़ 22 लाख दिये हैं, मरम्मत में पांच-पांच लाख रूपये खर्च किये हैं । एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है । इन्होंने जो जानकारी दी है, 16 किसानों को लाभ मिला है । मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इन तीनों कार्यों की जांच करायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जांच करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा ।

<u>धरसींवा एवं तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र</u>

10. (*क्र. 1029) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरसींवा एवं तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) क्या सभी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका नियुक्त हैं? अगर नहीं, तो कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) धरसींवा एवं तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत 1133 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. (ख) धरसींवा एवं तिल्दा विकासखण्ड में 31 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं 64 आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त है. रिक्त पदों पर भर्ती हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर आया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो रिक्त पद हैं, उसकी भर्ती जल्दी कराया जाये । अगर भर्ती की जाती है तो कब तक कर देंगे ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वर्ष 2020 तक भर्ती हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन नहरों की स्थिति</u>

11. (*क्र. 1159) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने नहर अपूर्ण हैं, अपूर्ण होने के क्या कारण है ? (ख) क्या उक्त नहरों का मरम्मत कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से माईनर का ? (ग) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतिम छोर के गांवों तक पानी पहुंचाने हेतु क्या योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला जांजगीर चांपा के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 8 नहर अपूर्ण है. अपूर्ण होने का कारण †[8] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त नहरें अपूर्ण हैं, अतः मरम्मत कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता. (ग) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतिम छोर के गांवों तक पानी पहुंचाने हेतु सब माइनर नहरें प्रस्तावित की गई है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को जो अपूर्ण नहरों का प्रश्न पूछा था, पूरे जैजेपुर विधान सभा का पूछा था, आपके उत्तर में एक सक्ती कैनाल का आया है, जैजेपुर विकासखण्ड का आधा हिस्सा को पूरा करता है । खरसिया डिविजन का मालखरौदा विकासखण्ड, जांजगीर डिवीजन का बिर्रा विकासखंड यह भी मेरे जैजेपुर विधान सभा में आता है, लेकिन आपके उत्तर में यह नहीं आया है । सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि अधूरा उत्तर देने का क्या कारण है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने पूरे विधान सभा क्षेत्र की जानकारी चाही थी । दो विकासखंड का शेष है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रीतम राम ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछा ही नहीं हूँ । अधूरा उत्तर दिये हैं, उन्हीं का पूछा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने पूछा है कि अधूरा उत्तर क्यों दिया, उन्होंने बता दिया है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक प्रश्न हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय:- आपका तो रोज प्रश्न आता है, उसका पहली बार प्रश्न आता है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 85 प्रतिशत सिंचित एरिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- सब ठीक है, आपका रोज प्रश्न आता है, उसका आज पहली बार आया है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक विकासखण्ड में 8 केनॉल अपूर्ण है । वर्ष 2002-2003 में निर्मित हुआ है । आपके 40 गांव असिंचित है । मैं माननीय मंत्री जी से इतना आश्वासन चाहता हूं कि सी.ई.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

†[8] परिशिष्ट "आठ"

या उनके सक्षम अधिकारी से क्या इन नहरों की मेरी उपस्थिति में आप निरीक्षण करवाकर उनको पूर्ण करायेंगे क्या?

जल संसाधन संभाग जशपुर में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएँ

12. (*क्र. 1472) डॉ. प्रीतम राम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन संभाग जशपुर के अंतर्गत कितनी सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं? (ख) उक्त सिंचाई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं व्यय की जानकारी देवें? (ग) उक्त सिंचाई परियोजनाओं में किन-किन योजनाओं में मूल लागत के अतिरिक्त पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई? (घ) उक्त निर्माणाधीन योजनाओं से कितना रकबा सिंचित हो रहा है? विगत 5 वर्षों की जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जल संसाधन संभाग जशपुर के अंतर्गत 33 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है. (ख) उक्त सिंचाई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं व्यय की योजनावार जानकारी ††[9] संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ग) उक्त सिंचाई परियोजनाओं में से 14 योजनाओं में मूल लागत के अतिरिक्त पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. योजनावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (घ) उक्त निर्माणाधीन योजनाओं से सिंचित रकबे की विगत 05 वर्षों की योजनावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

डॉ. प्रीतम राम :- अध्यक्ष महोदय, जशपुर जिले में सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति है, इस पर मंत्री जी का उत्तर आया है कि 33 निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएं संचालित हैं जिसमें शेष कार्य के अतिरिक्त कैनाल निर्माण का कार्य अपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे अपूर्ण कार्यों में किस तरह से जो संभावित तिथि है उसमें कार्य पूर्ण कर सकेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, तिथि बताना तो संभव नहीं है। वर्षों से अपूर्ण कार्य हैं और धीरे-धीरे प्रगति पर हैं और 33 निर्माणाधीन। एक तो आप जशपुर का प्रश्न किए इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपने क्षेत्र से निकलकर आपने पूरे जिले का प्रश्न किया।

डॉ. प्रीतम राम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पड़ोसी क्षेत्र है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पड़ोसी धर्म अच्छे से निभाये हो। लेकिन विभाग अब धीरे-धीरे कार्यवाही कर रहा है, जल्दी पूरा करेंगे।

डॉ. प्रीतम राम :- अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 वर्षों में अधिकांश सिंचाई योजनाओं में सिंचित रकबा लगातार कम हो रहा है और मरम्मत और रख-रखाव के पैसे का खर्च बढ़ता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कार्ययोजना है?

[9]†† परिशिष्ट नौ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हर बार हम लोग कहते हैं, विभाग कहता है कि डिजाईन अनुसार जो रूपांकित क्षमता है उसके अनुसार अभी सिंचाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार के पास योजना है, इस बजट में हम लोगों ने प्रावधान भी किया हुआ है।

बस्तर जिला में हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान

13. (*क्र. 1370) श्री रेखचंद जैन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिला अंतर्गत कितने व्यक्तियों को विभिन्न योजना अंतर्गत पेंशन दी जाती हैं? योजना का नाम, राशि सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में कितने हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से और कितने हितग्राहियों को नगद भुगतान किया जा रहा हैं? नगद भुगतान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ब्लॉकवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- (क) जानकारी ‡[10] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) बस्तर जिला अंतर्गत 48,693 हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से तथा 2,353 हितग्राहियों को पेंशन राशि का नगद भुगतान किया जा रहा है. नगद भुगतान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नगद पेंशन राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	बकावण्ड	481
2.	बास्तानार	99
3.	बस्तर	500
4.	दरभा	247
5.	जगदलपुर	560
6.	लोहण्डीगुड़ा	304
7.	तोकापाल	162
	योग	2353

श्री रेखचंद जैन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पेंशन से संबंधित प्रश्न लगाया था। इसका जवाब माननीय मंत्री जी से मिला है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बस्तर संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर 48693 हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से पेंशन मिलती है और 2353

‡[10] परिशिष्ट "दस"

Uncorrected and unedited/Not for Publication Friday, March 06, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हितग्राहियों को नगद भुगतान किया जाता है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हितग्राही हैं उन्हें नगद भुगतान किया जायेगा क्या?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा क्षेत्र है, ऐसा ग्राम है तो आप उसकी जानकारी दे दें, कलेक्टर के माध्यम से उनकी अनुशंसा से नगद भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 14 :- XX XX

<u>प्रदेश में लोक कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण/संवर्धन संचालित योजनाएं</u>

15. (*क्र. 1641) श्री विनय कुमार भगत: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी लोक कलाएं एवं भाषाएं वर्तमान में प्रचलन में हैं और कितनी विलुप्त हो गई या विलुप्त होने के कगार पर हैं? लोक कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण/संवर्धन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश "क" के संरक्षण/संवर्धन हेतु क्या गैर सरकारी संगठनों को भी अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2016-17 से 10 फरवरी, 2020 तक कुल कितने संगठनों को कितना अनुदान दिया गया एवं उनका मूल्यांकन कब-कब किसके द्वारा किया गया एवं उक्त कार्य में उनकी सफलता/प्रगति क्या रही? वर्षवार, जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश "क" के संरक्षण/संवर्धन हेतु उक्त अवधि में कुल कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों से किस-किस मद से व्यय की गई है? सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का पृथक-पृथक वर्षवार संभागवार जानकारी देवें ? (घ) क्या प्रश्नांश "क" के प्रदत्त अनुदान में निर्माण कार्य हेतु भी राशि दी गई है यदि हां, तो कौन से निर्माण कार्य हेतु? निर्माण कार्य कहां-कहां किए गए ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रदेश में मुख्य पारंपरिक लगभग 23 लोक कलाएं एवं 17 भाषा/बोलियां वर्तमान में प्रचलन में हैं. विलुप्त हो गई या विलुपित के कगार पर भाषा/बोली संबंधी जानकारी विषय-विशेषज्ञ/शोध-सर्वेक्षण के माध्यम से संभव है, जिसकी सुनिश्चित तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है. लोक कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण/संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ भाषाई-अध्ययन, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण, संकलन, अनुवाद, प्रकाशन, प्रदर्शन आदि योजनाएं संचालित हैं.(ख) प्रश्नांश "क" के छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण/संवर्धन हेतु संगोष्ठी, प्रकाशन, आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को अनुदान दिया जाता है. छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण/संवर्धन के लिए वर्ष 2016-17, से 10 फरवरी, 2020 तक पाण्डुलिपि प्राकशन हेतु 122 एवं संगोष्ठी हेतु 40 कुल 162 संगठन/संस्था को कुल राशि रु. 25,13,270/- अनुदान दिया गया. वर्षवार जानकारी ††[11]

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[11]†† परिशिष्ट "बारह"

संलग्न प्रपत्र "अ" पर संधारित है. उक्त कार्य में संस्था द्वारा प्रकाशन की प्रतियां उपलब्ध करायी गई हैं तथा संगोष्ठी हेतु प्रदान किये गये अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय-विवरण प्राप्त हुआ है, जिनका मूल्यांकन विभागीय समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति पर कराया जाकर संतोषजनक पाया गया है. (ग) प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण/संवर्धन हेतु वर्ष 2016-17, से 10 फरवरी, 2020 तक प्रकाशन मद में कुल 172 संगठन/संस्था को राशि रु. 17,21,000/- तथा सम्मेलन मद में कुल 40 संगठन/संस्था को राशि रु. 7,92,270/- इस प्रकार कुल राशि रु. 2513270/- व्यय की गई है. सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों का पृथक-पृथक वर्षवार, संभागवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर संधारित है. (घ) प्रश्नांश "क" के प्रदत्त अनुदान में निर्माण कार्य हेतु भी कोई भी राशि नहीं दी गई है.

श्री विनय कुमार भगत: - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी लोक कलाएं एवं भाषाएं वर्तमान में प्रचलन में हैं और कितनी विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं? उत्तर में आया है कि 23 लोक कलाएं एवं 17 भाषा, बोलियां वर्तमान में प्रचलन में हैं परंतु मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह 23 कौन सी लोक कलाएं हैं और कौन सी 17 भाषाएं हैं?

अध्यक्ष महोदय :- इसको अलग से पूछ लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लंबा प्रश्न है। आप मंत्री जी के कक्ष में जाकर उसको कर लीजिएगा।

<u>बस्तर संभाग अंतर्गत जल संसाधनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु व्यय राशि</u>

16. (*क्र. 1634) श्री बघेल लखेश्वर:- क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभाग के द्वारा कुल कितने स्टापडेम, एनीकट, नहर-नाली, बांध, तालाब इत्यादि का निर्माण कराया गया? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्या इन संसाधनों के रख-रखाव, मरम्मत, सुधार जीर्णोद्वार इत्यादि के लिए भी राशि खर्च की गई है? यदि हां, तो वर्षवार व्यय की गई राशि सहित कार्यवार जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बस्तर संभाग में जल संसाधन विभाग के द्वारा स्टापडेम, एनीकट, नहर-नाली, बॉध, तालाब सहित कुल 436 कार्यों का निर्माण कराया गया है. जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां, इन संसाधनों के रख-रखाव, मरम्मत, सुधार, जीर्णोद्धार इत्यादि के लिए भी राशि खर्च की गई है. विगत 03 वर्षों में वर्षवार व्यय की गई कार्यवाही राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बघेल लखेश्वर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है लेकिन हमारे यहां 436 स्टाप डेम, नहर नाली, तालाब आदि का ये जो फिगर गया है क्या वह वास्तव में सही है?

श्री रविन्द्र चौबे :- विभाग से जो फिगर आया है उसको मैंने दिया है। सही है या गलत है इसे तो आप बतायेंगे। आप कुछ पूछ लीजिए ना।

श्री बघेल लखेश्वर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट आपसे मिला है उसमें मेरे क्षेत्र में कई नहर, नाली, तालाबों का इसमें उल्लेख नहीं है।

<u>जिला राजनांदगांव में समेकित बाल विकास योजना के तहत संचालित परियोजनाएं</u>

17. (*क्र. 1394) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल:- क्या महिला एवं बाल विकास त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के किन-किन विकासखण्डों में कहां-कहां बाल विकास परियोजना संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2020 तक किन-किन कार्य हेतु कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ? परियोजनावार कार्यवार राशि बतावें ? (ग) प्राप्त आबंटन का व्यय किस-किस कार्य हेतु किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है. (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है.

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत् राजनांदगांव जिले के किन-किन विकासखण्डों में कहां-कहां बाल विकास परियोजना संचालित हैं? मैंने प्रश्न के माध्यम से जानकारी की मांग की थी और सारा उत्तर मुझे मिल गया है मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- धन्यवाद।

प्रश्न क्रमांक 18 :- XX XX

<u>कृषि मेला आयोजन में व्यय राशि</u>

19. (*क्र. 1721) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीते 05 वर्ष में कितने कृषि मेले का आयोजन किया गया ? (ख) इस आयोजन में कितनी राशि खर्च की गई ? (ग) इस आयोजन में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में रेडी-टू-ईट एवं अन्य पोषक आहार की आपूर्ति

20. (*क्र. 1709) सुश्री शकुन्तला साहू:- क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में रेडी टू ईट एवं अन्य पोषक आहार की आपूर्ति कितनी महिला समूहों द्वारा की जा रही है? (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में ऐसे कितने समूह रेडी टू ईट का संचालन कर रहे हैं, जिनका अनुबंध समाप्त हो चुका है? क्या अनुबंध समाप्त होने के बाद बिना विज्ञापन पुनः अनुबंध किया गया है? (ग) वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2019 तक कितने नये समूहों का अनुबंध किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 66 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट एवं नाश्ता व गर्म भोजन का प्रदाय 1162 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है. (ख) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 10 महिला स्व सहायता समूहों की अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है. अनुबंध समाप्त होने के पश्चात बिना विज्ञापन जारी किये पुनः अनुबंध नहीं किया गया है. (ग) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में वर्ष 2018 से दिसम्बर 2019 तक 21 नवीन चयनित महिला स्व सहायता समूहों से अनुबंध किया गया है.

श्री अजीत जोगी :- ये भी संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- एक देख लीजिए। माननीय मंत्री जी, आप सबका ध्यान मेरी ओर होनी चाहिए। भविष्य में किसी प्रश्न का 178 पेज का परिशिष्ट आए। यह मैं उचित नहीं समझता। एक प्रश्न के परिशिष्ट का उत्तर 178 पेज है। आप लोग भविष्य में ध्यान रखें। विधानसभा सचिवालय भी ध्यान रखें।

श्री नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड है, मेरे यहां तो अभी 600 पेज का आने वाला है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना। माननीय मंत्री जी।

समय :

12:01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना।

अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 23 दिसंबर, 2019 पटल पर रखेंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32 दिनांक 23 दिसंबर, 2019 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल।

पृच्छा

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर चांपा में महिला बाल विकास विभाग द्वारा।

अध्यक्ष महोदय :- आपका जो उत्तर नहीं मिला है, उसे भी आप शामिल कर सकते हैं। आपका पूरा समय है। शून्यकाल में जितना समय लीजिए, यह आपका है।

श्री केशव प्रसाद चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब उत्तर तो मिलेगा नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- मिलेगा नहीं मगर बात तो डाल सकते हैं। सब डाल दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं मंत्री जी से यही आश्वासन चाहता था कि उच्च अधिकारी सी.ई. स्तर के अधिकारी से निरीक्षण करवा लें और जो अधूरा है उसको पूरा करवा दें। उस समय बस यही आश्वासन चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, जीरो आवर है न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- हां, जीरो आवर है।

समय :
12:02 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए।)**

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी दो-दो बार विज्ञापन आ गया है। एक बार पहले विज्ञापन निकाले, अलग-अलग समूह का आवेदन आया। अलग-अलग सेक्टर के लिये आवेदन मंगाये। उसके बाद उसको निरस्त करके पुन: बाल विकास महिला अधिकारी के द्वारा जिला के कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा वर्तमान में पुन: निकाला गया है और दोनों विज्ञापन में अंतर है। अलग-अलग सेक्टर के लिये आवेदन निकाला गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिला में भयानक अनियमितता बरती जा रही है, लेनदेन का खेल हो रहा है। इसके लिये मैंने ध्यानाकर्षण दिया है। कृपया निवेदन है, पोषक आहार से संबंधित है। अनियमितता, भ्रष्टाचार का मामला है। कृपया इसको ग्राह्य करके चर्चा कराने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय जोगी जी।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- उपाध्यक्ष जी, जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि पुलिस विभाग में रेगुलर छुट्टी दी जायेगी और पुलिस कर्मियों का विधिवत बीमा किया जायेगा। न तो उनको छुट्टी दी जा रही है, न तो उनका बीमा किया जा रहा है। एक-एक पुलिसकर्मी पूरे दिन में 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आपने वादा किया है तो उसको निभाईये। पुलिसकर्मियों जो 16 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं, हालत बहुत दयनीय हैं। कम से कम उनको साप्ताहिक छुट्टी का आपने जो वादा किया है, उसको पूरा करिये।

समय :
12:03 बजे **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये हमारे सरदार जी अभी चीन से आये हैं और यहां आकर बैठ गये हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी, उधर बोलने बैठ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी। श्री धनेन्द्र साहू जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कोई व्यवस्था आ जाये, ये अभी-अभी चीन से लौटें हैं। हम सब के लिए बहुत खतरनाम हो गये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे दीजिए। उधर खाली हैं, वे उधर बैठ जायें। मंत्रियों के बीच में बार-बार आ जाते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब के पास बैठ गया हूँ। इन सबकी जांच होनी चाहिए। मैं सबसे हाथ मिला लिया हूँ और सबके पास बैठ गया हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबकी जांच करवाईये।

(1) रायपुर जिले की आरंग तहसील के ग्राम भिलाई में निस्तारी भूमि को सी.आर.पी.एफ. हेतु आरक्षित किया जाना।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रायपुर जिले की आरंग तहसील के ग्राम-भिलाई में दिनांक 28.02.2020 सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा ग्राम की लगभग 30 एकड़ शासकीय भूमि जो उनके परिसर के समीप स्थित है, शासन द्वारा सी.आर.पी.एफ. को आंवटित नहीं किए जाने के बावजूद भी कटीले तार, खम्भों के द्वारा जबरिया (अवैध) कब्जा किया जा रहा था। उक्त कार्यवाही का सरपंच सहित ग्राम के 150-200 लोगों के द्वारा विरोध किया। ग्रामवासियों के विरोध करने पर सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा लाठीचार्ज करते हुए ग्रामीणों को बेरहमी से 1 किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया जिससे ग्रामीणों को गंभीर चोटे आई हैं। सी.आर.पी.एफ. के जवानों के उक्त कार्यवाही से ग्रामवासियों में डर एवं दहशत का माहौल है। सी.आर.पी.एफ. जवानों के लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल (1) श्री गिरधारी साहू (2) श्री खूबचंद चंद्राकर (3) श्री पुरूषोत्तम जलछत्री सहित अन्य लोगों द्वारा प्रकरण के दूसरे दिन आरंग थाना में रिपोर्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर गंभीर चोट होना पाया गया है। जिस भूमि को सी.आर.पी.एफ. द्वारा जबरिया कब्जा किया जा रहा था, उस भूमि को सी.आर.पी.एफ. को आवंटित नहीं करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए जिलाधीश को पत्र प्रेषित कर यह निवेदन किया कि सी.आर.पी.एफ. को 127 एकड़ भूमि दी जा चुकी है। यदि और भूमि दी जाती है तो ग्रामवासियों के लिए निस्तारी के लिए भूमि शेष नहीं बचेगी। ग्रामवासियों के आपत्ति के बावजूद भी जिलाधीश द्वारा भिलाई ग्राम के उक्त भूमि को बिना ग्राम पंचायत के सहमति के सी.आर.पी.एफ. के लिए निस्तार पत्रक में सुरक्षित करने का आदेश दे दिया गया जिससे भिलाई ग्राम के हितों के साथ जिला प्रशासन द्वारा कुठाराघात किया गया है। उक्त भूमि में स्कूल खेल मैदान हेतु पंचायत द्वारा आरक्षित किया गया तथा बड़े हिस्से में ग्राम की शाला विकास समिति द्वारा विगत 15-20 वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में फसल लगी हुई है एवं कुछ हिस्सों में वृक्षारोपण किया गया है जो कि बड़े-बड़े वृक्ष वर्तमान में तैयार हैं। जिलाधीश द्वारा जनभावना को ध्यान नहीं रखते हुए उक्त भूमि को जबरिया सी.आर.पी.एफ. हेतु आरक्षित कर दिया। प्रशासन एवं सी.आर.पी.एफ. की जन विरोधी एवं दमनात्मक कार्यवाही से ग्रामीणों में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

समय :
12:09 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 284 का मेरा वक्तव्य है :-

रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम भिलाई में पूर्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 51.71 हेक्टेयर (129.27 एकड़) भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में कलेक्टर रायपुर के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2020 के द्वारा कुल खसरा नं. 3 रकबा 8.50 हे. (21.25 एकड़) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए सुरक्षित की गई है।

कलेक्टर रायपुर के आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 के द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए सुरक्षित की गई भूमि खसरा नं. 3 का रकबा 6.90 हेक्टेयर, खसरा नं.122 का रकबा 0.96 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 121 का रकबा 2.70 हेक्टेयर में से 1.20 हेक्टेयर है। वर्तमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हेतु सुरक्षित भूमि कुल रकबा 8.50 हेक्टेयर के संबंध में उल्लेख है कि खसरा नं.3 रकबा 6.90 हेक्टेयर में से खरीफ सत्र 2018-19 में धान फसल ली गई थी, वर्तमान में कोई फसल नहीं ली गई है। खसरा नं. 121 रकबा 2.70 हेक्टेयर में से 1.20 हेक्टेयर रिक्त भूमि है, शेष 1.50 हेक्टेयर भूमि में स्कूल भवन व खेल का मैदान है। खसरा न. 122 रकबा 0.96 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए आरक्षित है, शेष रकबा 0.56 हेक्टेयर में वृक्षारोपण है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्राम भिलाई में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिये सुरक्षित किये जाने के पश्चात चराई का शेष रकबा 82.03 हेक्टेयर है जो 2 प्रतिशत से अधिक है। ग्राम का कुल क्षेत्रफल 998.84 हेक्टेयर व चराई का शेष रकबा 82.03 हेक्टेयर है जो 8.29 प्रतिशत होता है। ग्राम भिलाई में निस्तार पत्रक अनुसार गौठान, खलिहान, चमड़ा निकालने का स्थान, मुरूम हेतु, कब्रिस्तान, तालाब, आबादी हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को भूमि आरक्षित करने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा की गई आपत्तियों की विधिवत सुनवाई तहसील आरंग व अनुविभागीय अधिकारी आरंग द्वारा की गई थी तथा आपत्तियों को निरस्त किया गया था तदुपरांत कलेक्टर रायपुर द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों व प्रक्रिया का पूर्ण पालन कर भूमि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बिल के लिए सुरक्षित रखी गई है।

दिनांक 28.02.2020 को राजस्व विभाग उक्त भूमि के सीमांकन के लिए ग्राम भिलाई गई थी, राजस्व विभाग के सीमांकन पश्चात चिन्हित भूमि पर जब सी.आर.पी.एफ. ग्रुप सेंटर के स्टॉफ द्वारा लोहे का एंकल लगाया जा रहा था, तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया।

घटना के पश्चात दिनांक 29.02.2020 को थाना आरंग में ग्राम भिलाई के ग्रामीण गिरधारी लाल साहू, खुबचंद चन्द्राकर व अन्य ग्रामीणों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था कि सी.आर.पी.एफ. ग्रुप सेंटर के मेजर (प्रधान आरक्षक) शंकर यादव व अन्य जवान अधिकारी द्वारा इनके साथ अभद्र गाली गलौच कर मारपीट की गई है। जिसके संबंध में आवेदन पत्र में जिन तीन ग्रामीणों- गिरधारी लाल साहू, खुबचंद चन्द्राकर, पुरूषोत्तम जलक्षत्री को चोंट आना बताया गया था, उनका चिकित्सा परीक्षण कराया गया। चिकित्सा परीक्षण में तीनों को सामान्य चोंट आना डॉक्टर द्वारा लेख किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 05.03.2020 को थाना आरंग में उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपराध क्रमांक 129/2020 धारा 294, 323, 34 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। अत: ग्रामीणों में शासन के प्रति कोई आक्रोष नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है जिस भूमि को जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामवासियों की आपत्ति के बावजूद भी निस्तार पत्रक में सी.आर.पी.एफ. के लिए आरक्षित कर दिया है, उस भूमि का उपयोग वर्तमान में ग्रामवासियों के द्वारा, शाला विकास के द्वारा, खेती होना भी स्वीकार कर रहें हैं। अभी भी अलसी वगैरह की फसल लगी हुई है, उसमें रबी फसल लगी हुई है, मैं स्वयं देखा हूं। साथ ही खेल मैदान के रूप में भी उपयोग में आ रहा है। वृक्षारोपण भी किये गये हैं। ग्रामवासियों की आपत्ति के बावजूद भी और मैंने भी आपत्ति किया था, मैंने भी पत्र लिख करके जिलाधीश को आपत्ति किया है। पूर्व में उनको लगभग 130 एकड़ दिया जा चुका है और गांव में शेष 2 प्रतिशत जमीन आप बता रहे हैं, यह 2 प्रतिशत जमीन भी लगभग अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है। गांव के विकास के लिए वहां पर कहीं कोई जमीन बची नहीं है तो गांव वाले लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निस्तार करने के लिए कहां से जायेंगे? दूसरी बात यह है कि जब उनको जमीन आवंटित नहीं गई है तो सी.आर.पी.एफ. के द्वारा उसको घेराबंदी क्यों की जा रही थी? अभी तो सिर्फ निस्तार पत्रक में सुरक्षित की गई थी, उनको आवंटन तो किया नहीं गया है। उसको बावजूद उसको पक्का खंभा लगा करके तार घेरा, सी.आर.पी.एफ. के द्वारा करें और बंदूक के बल पर करें । गांव के ग्राम सरपंच और गांव वाले गये तो सी.आर.पी.एफ. के द्वारा उनको दौड़ा-दौड़ाकर एक किलोमीटर तक खूब मारपीट की गयी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जो आज हमारे पंचायती राज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को जो अधिकार प्रदत्त किया है यह इसका घोर उल्लंघन है । उस पर भी सी.आर.पी.एफ. बलात् उस जमीन को कब्जा करना चाहती है और उसमें जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें जो आवंटन भी कर दिया गया है तो माननीय मंत्री जी से मेरा इतना ही आग्रह है कि जो निस्तार पत्रक के लिये आरक्षित कर दिया गया है सी.आर.पी.एफ. के लिये उसको निरस्त कर दें और गांव में जो काफी अधिक इसके लिये आक्रोश शासन के ऊपर बना हुआ है कि ग्राम की आपत्ति के बावजूद भी वहां गांव में और भूमि नहीं है फिर भी आवंटित कर दिया गया है तो मैं आपसे सीधे यही अनुरोध करूंगा कि जिला प्रशासन ने जो सी.आर.पी.एफ. के लिये शेष जमीन जो जिसका अभी 8 पाईंट समथिंग हेक्टेयर जो आरक्षित किया है उसको निरस्त करके शाला विकास समिति के लिये, खेल मैदान के लिये, वृक्षारोपण के लिये, गांव के अन्य विविध विकास कार्यों के लिये क्या आप आरक्षित कर देंगे ? माननीय मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साहू जी की भावनाओं से चूंकि वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । इन्होंने जो जानकारी दी है तो इसमें इस साल तो फसल नहीं लगायी गयी है और मैंने जैसी जानकारी दी कि वर्ष 2018-19 में उसमें फसल लगी थी और निस्तारी के लिये जिन-जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो वह भूमि उपलब्ध है, यह मैंने जानकारी दी है और साहू जी ने कहा कि उसमें बेजा कब्जा हो चुका है और ग्रामीणों को जमीन की आवश्यकता है तो मेरा यह मानना है कि जो कलेक्टर ने उस भूमि को सुरक्षित रखा है तो अभी उसमें सी.आर.पी.एफ. का कब्जा नहीं है । उसमें जो फेंसिंग पोल वगैरह लगाये जा रहे थे वह निकाले जा चुके हैं तो मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम कमिश्नर से इसकी जांच करा देंगे और जांच में ग्रामीणों की क्या आवश्यकता है । सी.आर.पी.एफ. को क्या आवश्यकता है वह पूरे तथ्य सामने आ जायेंगे और निष्पक्ष तौर से वह जांच होगी और उसके बाद उसमें निर्णय लिया जायेगा ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.आर.पी.एफ. की कार्यवाही के बाद तो ग्रामीणों में इतना गुस्सा है कि एक इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं । जब इस तरह की बलात् कार्यवाही सी.आर.पी.एफ. जैसी संस्था के द्वारा किया जाये कि आवंटन के बावजूद उस जगह को बंदूक के बल पर बलात् कब्जा कर रहे हैं तो ग्रामवासी तो कतई एक इंच भी जमीन चाहे उसके लिये गांव में कितनी भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अशांति पैदा हो जायेगी तो मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि आप कमिश्नर से बड़े हैं, आप स्वयं शासन हैं, आप यहां घोषणा कर दें कि उसको जो सी.आर.पी.एफ. के लिये आरक्षित किया गया है तो उसको निरस्त कर दीजिए । गांववासियों के विभिन्न निस्तारों के लिये उसको आरक्षित कर दीजिये, माननीय मंत्री जी आप यहीं घोषणा कर दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कलेक्टर ने उसको सुरक्षित रखा है, आवंटन नहीं हुआ है । माननीय सदस्य ने भी जो जानकारी दी कि आवंटन नहीं हुआ है, बाद में इन्होंने कहा कि आवंटित कर दी गयी लेकिन आवंटन नहीं हुआ है ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन नहीं हुआ है । सी.आर.पी.एफ. के लिये आरक्षित कर देना यानी लगभग आवंटन ही हो गया न ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां, मैं वही बोल रहा हूं कि उसमें अभी आवंटन नहीं हुआ है और जब तक उसकी जांच नहीं होगी । जांच में सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे, जब तक उसमें कोई आवंटन भी नहीं होगा और उसके बाद हम उसको एक-बार देख लेते हैं । कमिश्नर, कलेक्टर के ऊपर है । कमिश्नर स्वयं जांच करेगा और चाहें तो माननीय सदस्य भी जा सकते हैं । मैं इसके लिये भी बोलना चाहूंगा कि जब कमिश्नर साहब उसमें जांच करने जायेंगे तो स्वयं सदस्य को वे बुला लेंगे, साथ में रखेंगे और पूरी जांच में आपको शामिल कर लेंगे और उसके बाद जो भी चूंकि मैंने कहा कि सी.आर.पी.एफ. को वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं, ग्रामीणों की क्या आवश्यकता है, निस्तारी के लिये जो जमीन की जो माननीय सदस्य ने कहा कि निस्तारी की जमीन चूंकि वहां बेजा कब्जा हो चुका है । वह पूरी जांच रिपोर्ट आ जायेगी और उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ग्रामीणों के साथ कहीं अन्याय नहीं होगा ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 2 प्रतिशत के लगभग जमीन उपलब्ध है और उसमें सारा अतिक्रमण में है । सी.आर.पी.एफ. को पहले 130 एकड़ दिया जा चुका है और उससे लगी हुई, सटी हुई यह सारी जमीन है । शाला विकास समिति की जमीन है, जो खेती हो रही है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं । वहां पर खेल मैदान हैं, वहां बच्चे खेल रहे हैं वह भी आप स्वीकार कर रहे हैं । वहां वृक्षारोपण हुआ उसे भी आप स्वीकार कर रहे हैं तो यह उसी जमीन की बात हो रही है । यदि सी.आर.पी.एफ. को जरूरत है तो और दूसरे मौके की जमीन ले लें । यह स्कूल से लगी हुई जमीन है, गांव के लोग इस जमीन को कदापी देने के पक्ष में नहीं हैं और गांव के विकास के लिये चूंकि कोई गांव के पश्चिम छोर में तो नहीं जायेंगे । जो हाईस्कूल है उसे हमें हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करना है तो इसके लिये कोई अलग दूर में जाकर 2 किलोमीटर में तो भवन नहीं बना सकेंगे । यह गांव से लगी हुई जमीन है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको जो आरक्षित किया गया है, उसको निरस्त करने की घोषणा कर दें ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि उसको अभी आवंटन नहीं हुआ है । कलेक्टर ने उसको सिर्फ आरक्षित रखा है । जब तक जांच नहीं होगी उसको आवंटन नहीं होगा । मैंने इसीलिए कहा कि कमिश्नर साहब उसकी जांच करेंगे साथ में माननीय सदसय भी रहेंगे और उसके बाद इनको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, यदि उसको सिर्फ आरक्षित किया गया है तो फिर सीआरपीएफ ने कब्जा कैसे किया । राजस्व विभाग ने वहां सीमांकन क्यों किया, राजस्व विभाग ने खंभे लगाए, यह सब उनके सामने हुआ । जब उसको आरक्षित किया है, आवंटन नहीं किया तो फिर राजस्व विभाग ने सीमांकन क्यों किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- डिमांड के आधार पर, मान लीजिए सीआरपीएफ ने अपनी आवश्यकता बताते हुए उस जमीन की डिमांड की ।

श्री धनेन्द्र साहू :- वे तो फिर कभी भी खंभे लगा देंगे । जब आवंटन नहीं हुआ तो फिर राजस्व विभाग को सीमांकन नहीं करना था ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जो हो चुका है उसके आगे की बात करें, जांच करेंगे कमीश्नर और आप साथ में रहेंगे, यदि कमिश्नर की जांच में तथ्य सामने आएंगे, यदि ग्रामीणों की आवश्यकता है तो ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होगा । मैं इस बात की जानकारी देना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए । इसकी जांच कराकर आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा ।

श्री धनेन्द्र साहू :- धन्यवाद् ।

(2) राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना पूर्ण न होना.

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव नगर पंचायत की जल आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु 11 करोड़ वर्ष 2016-17 में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त योजना के तहत पाईप लाईन विस्तार 100 मि.मी. से 300 मि.मी.व्यास के डी.आई.के-7 पाईप जोड़ने एवं बिछाने के संबंध में मेसर्स बलराम दास अंबिकापुर के साथ क्रमांक 03/डी.एल./2017-18 अनुबंध एवं कार्यादेश जारी किया गया । इसी प्रकार इंटकवेल-कम-पंप हाऊस निर्माण के लिए कार्यादेश क्रमांक 6478 दिनांक 12.09.2016 (अनुबंध क्रमांक 59 डी.एल./2016-17) में मेसर्स जी मैक्स इंडिया प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग प्रा.लि. भिलाई को दिया गया । साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये कार्यादेश क्रमांक 1011, दिनांक 08.02.2017 (अनुबंध क्रमांक 123 डी.एल./2016-17) मेसर्स सरवा पूरता कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. रायपुर को दिया गया था । उक्त

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्माण कार्य की संबंधित फर्मों के ठेकदार, कार्यपालन अभियंता, उपअभियंता द्वारा 22 फरवरी, 2020 को सामूहिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पाईप बिना खुदाई कर बिछायी गयी है । निर्धारित कार्य अवधि के बाद भी कार्य अधूरा है । 25 फरवरी, 2020 से योजना का ट्रायल प्रारंभ किया जाना था। परंतु गुणवत्ताहीन एवं समयावधि में कार्य न करने की स्थिति में कार्यपालन अभियंता द्वारा संबंधित फर्मों को नोटिस क्रमांक 267, दिनांक 23 जनवरी, 2020, क्रमांक 287 एवं 331, दिनांक 25 जनवरी, 2020 को जारी किया गया । आज दिनांक तक उक्त फर्मों द्वारा कार्यपालन अभियंता के आदेशों का पालन न करना घोर उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है । उच्च अधिकारी की निष्क्रियता व हठधर्मिता के चलते नागरिकों को समय पर पेयजल व्यवस्था न हो पाने के कारण जनता में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला राजनांदगांव के अंतर्गत डोंगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना लागत रू. 1113.91 लाख की वर्ष 2015-16 के विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2015 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत 100 मि.मी. से 300 मि.मी. व्यास के डी.आई.के-7 कुल 16619 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य मेसर्स बलराम दास अंबिकापुर को आदेश दिनांक 12.04.2017 के द्वारा जारी किया गया था, ठेकेदार द्वारा अद्यतन कार्य पूर्ण कर लिया गया है, टेस्टिंग कार्य शेष है । इसी प्रकार इंटेकवेल कम पम्प हाउस निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 12/09/2016 के तहत मेसर्स जी मैक्स इंडिया प्रोजेक्ट एण्ड लिमिटेड, इंजीनियरिंग, भिलाई को दिया गया था, कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 18 माह थी, ठेकेदार के द्वारा कार्य को समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विलम्ब हेतु रूपये 9.10 लाख का अर्थदण्ड फर्म पर लगाया गया है। अद्यतन इंटेकवेल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

योजना अंतर्गत प्रावधानित (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) जलशोधन संयंत्र के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 08/02/2017 के द्वारा मेसर्स सरबापुरता कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. कलकत्ता को कार्य आबंटित किया गया है। उक्त अनुबंध के तहत फर्म द्वारा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

यह सत्य है कि माननीय विधायक महोदय तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत डोंगरगांव के साथ कार्यपालन अभियंता द्वारा दिनांक 22/01/2020 को सामूहिक रूप से योजना का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर पाइप लाइन शेष एवं तकनीकी मापदण्ड नहीं होने के कारण संबंधित फर्म को कार्यपालन अभियंता के पत्र दिनांक 23/01/2020 के द्वारा शेष पाइप लाइन को पूर्ण एवं बिछायी गयी पाइप लाइन को मापदण्ड अनुसार ठीक करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। अद्यतन में संबंधित फर्म द्वारा शेष पाइप लाइन एवं पूर्व में बिछायी गयी पाइप लाइन को ठीक कराकर पूर्ण कर लिया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्यपालन अभियंता द्वारा पाइप लाइन कार्य के ठेकेदार, इंटेकवेल के ठेकेदार एवं ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, तीनों ठेकेदारों के द्वारा कार्यपालन अभियंता के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अत: ठेकेदारों द्वारा अवहेलना एवं उदासीनता नहीं बरती गई है।

इंटेकवेल एवं ट्रीटमेंट प्लांट में पंप स्थापना हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है। पंप स्थापना का कार्य अगस्त 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। तत्पश्चात् योजना के माध्यम से जलप्रदाय प्रदाय किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

इस प्रकार योजना के क्रियान्वयन में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निष्क्रियता एवं हठधर्मिता नहीं बरती गई है। अत: नागरिकों में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने सारे तथ्यों को स्वीकार किया। सामूहिक निरीक्षण भी हुआ। कहा भी है। उनके लेटर में लिखा भी है। मेरे पास पत्र है उसमें लिखा है कि आपने गलत मापदण्ड के तकनीकी दृष्टिकोण से पाइप लाइन नहीं बिछायी। उन्हें समय में काम करने के लिए नोटिस जारी किया गया। जैसे ही ध्यानाकर्षण लगा तो तत्काल आनन-फानन में रात में 2 बजे जाकर उस पाइप को मिट्टी से ढंकने का प्रयास किया गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका कागज ही बोल रहा है। सारे तथ्य इसी में हैं कि सामूहिक निरीक्षण भी हुआ। स्वीकार भी कर लिये कि तकनीकी दृष्टिकोण से काम नहीं हुआ है और गुणवत्ताहीन काम हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप समय-समय पर अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये होंगे। क्या आपने बिना देखे पेमेंट कर दिया और आपने पेमेंट कब-कब किया? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आपने तीनों एजेंसी को नोटिस जारी किया तो आपने इनका आखिरी पेमेंट कब किया और कब-कब पेमेंट किये?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जैसा कि मैंने अपने जवाब में ही बताया। एक कंपनी के द्वारा देरी किया जा रहा था तो 9.10 लाख का अर्थदण्ड उसके फर्म पर लगया गया और सबका कार्य पूर्ण होने के बाद ही उनको पेमेंट किया गया।

श्री दलेश्वर साहू :- कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं है। अगर पूर्ण होता तो यह बात नहीं होती। आप निरीक्षण करवा लीजिएगा। यह पेयजल का मामला है। लोक संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी..।

अध्यक्ष महोदय :- वे जांच करा लेंगे और देख लेंगे। लखेश्वर बघेल।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) बस्तर संभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बस्तर संभाग के सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में बहुसंख्यक आदिवासी वर्ग के युवक-युवतियां प्रशिक्षणरत हैं। इन संस्थाओं में उपलब्ध व्यवस्थाएं प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। सभी संस्थाओं में अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े ब्रांच खोल दिए गए हैं। लेकिन कहीं विषय प्रशिक्षक नहीं हैं, तो कहीं विषय से जुड़ी आवश्यक सामग्रियां नहीं हैं। बास्तानार में तो एक मात्र मेहमान प्रवक्ता के भरोसे संस्था संचालित है। संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ज्यादातर संस्थाएं मेहमान प्रवक्ताओं एवं संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही संचालित हो रही हैं। मैंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। लगता है कि सरकार इस ओर बिलकुल भी गंभीर नहीं है और संस्थाएं भगवान भरोसे ही संचालित हैं। ऐसी स्थिति से हमारी गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संस्थाओं में व्याप्त इन अव्यवस्थाओं से प्रशिक्षणरत बच्चों के साथ ही साथ उनके पालकों में भी शासन के प्रति काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बस्तर संभाग में 36 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। इन संस्थाओं में वर्तमान में 4,251 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं, जिनमें 2,729 आदिवासी युवक-युवतियां सम्मिलित हैं। यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं में कुल विभिन्न अलग-अलग व्यवसायों के 20 ब्रांच खोले गये हैं, जिनके लिए प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 352 पद स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर संभाग के संस्थाओं में उक्त 20 ब्रांच के कुल 207 यूनिट्स में प्रशिक्षण संचालित हैं, जिनके लिए 252 प्रशिक्षण अधिकारियों की आवश्यकता है। वर्तमान में बस्तर संभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 69 नियमित एवं 26 संविदा पर प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं। रिक्त पदों के विरूद्ध आवश्यकता अनुसार मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे हैं। संचालित 36 शासकीय आई.टी.आई. में से 03 संस्थाओं में 90-100%, 09 संस्थाओं में 80-90%, 05 संस्थाओं में 40-60% तथा शेष संस्थाओं में 40% से कम मशीन और उपकरण उपलब्ध हैं। यह सही नहीं है कि बास्तानार में एक मेहमान प्रवक्ता के भरोसे संस्था संचालित है। अपितु संस्था में एक मेहमान प्रवक्ता के अतिरिक्त एक प्राचार्य वर्ग-2, एक सहायक ग्रेड-3 भी पदस्थ है। यहां संचालित एक व्यवसाय के मात्र एक यूनिट में प्रशिक्षण संचालित है, जिसके लिए नियमित प्रशिक्षण अधिकारी पदस्थ नहीं होने के कारण मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण कार्य संपादित कराया जा रहा है। बस्तर संभाग में संचालित 36 शासकीय आई.टी.आई. में 23 संस्थाओं के स्वयं के भवन निर्मित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं (विद्युत, पेयजल एवं प्रसाधन की सुविधाएं) उपलब्ध हैं। 12 संस्थाओं के भवन निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 04 बालिका एवं 22 बालक छात्रावास भवन उपलब्ध है तथा 07 संस्थाओं के लिए छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। बस्तर संभाग में संचालित 36 शासकीय आई.टी.आई. के वर्ष 2019 में 5,736 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 5,082 प्रशिक्षाणार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार परीक्षा परिणाम 88.59 प्रतिशत रहा। अत: यह कहना सही नहीं है कि गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इन संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं से प्रशिक्षणरत बच्चों के साथ ही इनके पालकों में भी काफी रोष व स्वाभाविक असंतोष व्याप्त है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपकी संस्थाओं की जानकारी आपके विभाग के माध्यम से 10.01.2020 एवं 16.12.2019 को भी जानकारी प्राप्त किया हूं। इसमें पूरे संभाग की जानकारी है। उसमें उल्लेख है, विभागीय जानकारी है कि बास्तानार में एक मेहमान प्रवक्ता कार्यरत है और वह संचालित कर रहा है। लेकिन आपके उत्तर में आया है कि 3 प्राचार्य और सहायक ग्रेड-3 कार्यरत हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन बास्तानार में ये प्राचार्य और सहायक ग्रेड-3 कब नियुक्त हुए ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बास्तानार में एक ही यूनिट चल रहा है। उस यूनिट में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 22 है। जिसमें 12 छात्र और 10 छात्राएं हैं और कोपा ट्रेड में ट्रेनिंग चल रहा है। तो 22 बच्चों के विरूद्ध एक मेहमान प्रवक्ता है, जिसको यह संपादित कर रहा है। एक सहायक ग्रेड-3 है और एक प्राचार्य वर्ग एक है। प्राचार्य वर्ग-दो की नियुक्ति जून, 2018 की है और इनका नाम बी.ए.ध्रुर्वे है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 252 पद 36 संस्थाओं के लिए स्वीकृत है। 69 नियमित और 36 संविदा कर्मचारी हैं और शेष मेहमान प्रवक्ता से ब्रांच चलायी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि मेहमान प्रवक्ता कब से नियुक्त हैं, उनकी संख्या कितनी हैं और उनको कितना मानदेय दिया जाता है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर मेहमान प्रवक्ता की नियुक्ति की तिथि बताना मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो नियमित हैं, उनकी संख्या 69 है, संविदा में 26 कार्यरत् हैं और अभी लगभग 123 मेहमान प्रवक्ता कार्यरत् हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न बहुत लंबा है । माननीय मंत्री जी के कक्ष में बैठकर उसको तय कर लीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय के बजट में पर्याप्त राशि नहीं का प्रावधान नहीं किया गया है । न बच्चों के लिए हॉस्टल है, न उनका बिस्तर है । हमारे बस्तर में बहुत पुरानी संस्था है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शार्ट में आपकी बात का स्पष्ट कर देता हूं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जहां आई.टी.आई. है, वहां के बच्चे जमीन में सो रहे है । मेहमान प्रवक्ता 10-15 सालों से कार्यरत् हैं, तीन-चार महीना से उनको वेतन नहीं मिल रहा है । ऐसे गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, कितनों दिनों तक मेहमान प्रवक्ता से काम चलेगा । हम लोग बेरोजगारों के साथ चल रहे हैं। आप न उनको नियमित कर पा रहे हैं, न ही समय पर वेतन दे पा रहे हैं, न सम्मानजनक मानदेय दे रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं इनकी बात को काट नहीं रहा हूं । पिछली सरकार द्वारा बस्तर संभाग को कहीं न कहीं इंग्नोर किया गया था, इस बात से मैं सहमत हूं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, पूरे प्रदेश में बाकी जगह भी यही स्थिति है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं । जो नियमित कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती के लिए हमने प्रक्रिया शुरू की है । स्टाफ की बात है तो रेग्युलर और मेहमान प्रवक्ता, दोनों को मिलाकर 218 स्टाफ काम कर रहे हैं । कुल मिलाकर 20 स्टाफ की कमी है । 20 स्टाफ के मेहमान प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर रहे हैं । तीसरा, 7 आई.टी.आई. जो बस्तर संभाग में है, उनके लिए फर्नीचर खरीदी के लिए 1 करोड़, 52 लाख का टेण्डर जारी कर दिया गया है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी ने धन्यवाद दे दिया है, बाकी अन्य जानकारी आप दे दीजिएगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बास्तानार में अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लिए 2020-21 के बजट में प्रावधान है और कुल 19 आई.टी.आई. के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है । आपकी चिन्ता से सरकार सहमत है और उस ओर काम कर रही है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न और करना चाहता हूं । संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है क्या ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आगे सरकार सोचेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित एक प्रश्न करना चाहता हूं । संविदा और मेहमान प्रवक्ता दोनों के वेतन में अंतर है, क्या उसको पूरा करेंगे ? दोनों का काम बराबर है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो कहना चाहते हैं, मैं उसको समझ रहा हूं । मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, उसमें आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी । एन.सी.व्ही..टी. में कुल 4747 बच्चे पढ़ रहे हैं, एस.सी.व्ही.टी. में 989 बच्चे पढ़ रहे हैं । इस साल एन.सी.व्ही..टी. में कुल 4271 बच्चे पास हुए हैं, जो पासिंग परसेंट है, वह 89.98 है और पूरे राज्य का पासिंग परसेंट 86 है तो पूरे राज्य से भी बेहतर बस्तर का रिजल्ट है तो कहीं न कहीं इन मेहमान प्रवक्ताओं ने अच्छा काम किया है इसीलिए यह रिजल्ट आया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि संविदा और मेहमान प्रवक्ता दोनों के वेतन में, मानदेय में जो विसंगति है, उसको पूरा करेंगे, दोनों को बराबर मानदेय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पांडे अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ कि आपने कोरोना वायरस से पूरे विश्व में, हमारे देश में संकट है, ऐसे विषय को आपने ग्रहण किया और सदन के अंदर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया ।

(4) प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने के उपाय किया जाना ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

होली त्यौहार में चीन से आयात होने वाले विभिन्न प्रकार के सामान रंग-गुलाल, पिचकारी व अन्य मुखौटे आदि के उपयोग से चीन में वर्तमान में फैले हुए कोरोना वायरस के छत्तीसगढ़ में फैलने के आसार बन सकते हैं, कोरोना वायरस का वर्तमान में कोई ईलाज नहीं है । इस बीमारी से बचने के लिए शासन स्तर पर गाईड लाईन बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को बचाया जाना आवश्यक है । होली त्यौहार में उपयोग में लाये जाने वाली विभिन्न वस्तुएं जो चीन से आयातित है, उसके उपयोग के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहल कर इस वायरस से बचने के लिए निर्णय लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाने से जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही नही है कि होली त्यौहार में चीन से आयात होने वाले विभिन्न प्रकार के सामान रंग-गुलाल, पिचकारी व अन्य मुखौटे आदि के उपयोग से चीन में वर्तमान में फैला हुआ कोरोना वायरस के छ.ग. में फैलने के आसार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बन सकते हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लू.एच.ओ. से वर्तमान में प्राप्त जानकारी अनुसार रंग गुलाल, पिचकारी व अन्य मुखौटे आदि के उपयोग से कोरोना वायरस संचारण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं । यह सत्य है कि चीन में कोरोना वायरस इलाज नहीं होने से भयावह स्थिति में मौजूद है । छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस नियंत्रण से संबंधित शासन स्तर से मार्गदर्शन जारी किये जा चुके हैं । समस्त जिलों में जिला सर्वेलेंस आधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, लेब टेक्निशियन, जिला एपिडेमियोलाजिस्ट इत्यादि का प्रशिक्षण पूर्ण का समस्त जिलों में आइसोलेसन वार्ड, नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं । सिविल अस्पताल माना में नये कोरोना वायरस नियंत्रण हेतु 30 बेडेड विशेष अस्पताल का व्यवस्था किया गया है । शासन स्तर से संदिग्ध मरीजों का सेंपल लिया जाकर एन.आई.व्ही. पूणे तथा आई.जी.एम.एम.सी. नागपुर भेजने की व्यवस्था किया गया है । एम्स रायपुर में भी इसकी जांच की व्यवस्था उपलबध है । अभी तक 26 संभावित व्यक्ति पाये गये इसमें 24 सेम्पल से 23 का परिणाम निगेटिव है, एक का लेब जांच परिणाम आना शेष है । दो मरीजों में संबंधित लक्षण नहीं होने के कारण सेम्पल नही लिया गया । प्रदेश में जनमानस को जागरूक करने हेतु प्रिंट मीडिया, एफ.एम. रेडियो एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जानकारी निरंतर दी जा रही है । विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में सतत निगरानी रखी जा रही है एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं । अत: शासन द्वारा तैयारी पूर्ण है, जनता में रोष एवं आक्रोश की कोई स्थिति नहीं है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में कोरोना वायरस से 3100 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें से सर्वाधिक मौतें चाईना में हुई है। हमारे देश में 30 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं । यह एक संक्रमण फैलाने वाला वायरस है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा प्रभाव बुजुर्गों के फेफड़े और गुर्दे वाली बीमारियों पर पड़ता है । अमेरिका में डेथ परशेंट, 2-3 प्रतिशत है, हमारे यहां डेंसिटी ज्यादा है । हमारे यहां डेथ रेट 15 से 20 परशेंट हैं । संक्रमण ज्यादा फैलने पर और हो सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भोले-भाले लोगों का प्रदेश है और सीधे-सादे लोगों का है । हमारे यहां जो होली त्यौहार है, वह एक ऐसा त्यौहार है, जिसमें सब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, रंग-गुलाल गालों में लगाते हैं, गीला भी करते हैं । इसके अतिरिक्त यह एक खतरनाक समय भी है । यह एक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, जो रंग और गुलाल है, उसमें जिंक और लेड की मात्रा ज्यादा होती है, जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर, मैं आज के ही अखबार के बारे में बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा रद्द किया । संसद में सेनेटाईजर का उपयोग किया जा रहा है । राजस्थान विधान सभा में कपूर और लौंग का प्रयोग कर रहे हैं । भारत जो है, संक्रमण से निपटने में 57 नंबर पर है, जो कि आज के अखबार में बताया गया है । दिल्ली में प्रायमरी स्कूल तक बंद कर दिये गये हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रायपुर में आज संदिग्ध चार लोग मिले हैं । चूंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक है, होली का त्यौहार एक दूसरे को रंग लगाने का है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो मरीज अस्पतालों में हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं उनको ये दिशा निर्देश दिया जाए और उसको होली से जोड़ा जाए क्योंकि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रंग-गुलाल चाईना से आ रहा है तो हमें खतरा है और हमारे प्रदेश को चिन्ता होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, ये गंभीर विषय है, इस पर मंत्री जी पूरे प्रदेश में इसे होली से जोड़ते हुए गाईडलाईन जारी करेंगे क्या?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही ध्यानाकर्षण होली के संदर्भ में आया है लेकिन ये अच्छा है कि ध्यानाकर्षण आया और हमको सदन में कोरोना वायरस के संबंध में चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष में एक को छोड़कर कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये जानकारी लोगों तक जाना अतिआवश्यक है। कोरोना वाईरस क्या है? यह एक इंफ्लूऐंजा, सर्दी, खांसी जैसे हमको सामान्य रूप से होती है वैसे ही एक शरीर की स्थिति या छोटी बीमारी मान लें। इससे जुड़ी हुई जो स्थिति है 1. कि यह होता कैसे हैं? चिकनपाक्स इत्यादि की बीमारी है ये वायु से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वह दो व्यक्तियों के बीच हवा से भी इसका संक्रमण हो सकता है किन्तु कोरोना वायरस ये ड्रॉपलेट के माध्यम से ही संक्रमित हो सकता है। यदि आप छींकेंगे या खांसेंगे और आपको अगर कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो उसी स्थिति में जब तक वह कण एक बूंद के रूप में प्रसारित नहीं होता है कोरोना वायरस आपको नहीं हो सकता। यह एकदम क्लीयर हमको समझना चाहिए कि जब तक ऐसा नहीं होगा उससे कोरोना वायरस नहीं हो सकता। सामान्य स्थिति में अभी जो कहा जा रहा है कि आप भीड़भाड़ वाले इलाके में मत जाईये वह इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि हवा से संक्रमण हो सकता है, वह इसलिए कहा जा रहा है कि अगर खांसी, सर्दी किसी को है और वह संक्रमित है तो आपको न हो जाए। आप अगल-बगल से निकल जाईये, हॉल में पास होकर चले जाईये। अन्यथा सारे अस्पताल बंद हो जाते। उन्हीं अस्पतालों में जहां आप उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी कोई चिंता या डर की बात या भय की बात कतई नहीं है। ये बूंद कैसे प्रसारित हो सकता है, एक आदमी छींका या खांसा दो व्यक्तियों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर से कम हो तो शायद वह बूंद आप तक पहुंच सकती है। आप नाक और मुंह के माध्यम से अगर ये बूंद खांसने या छींकने से पहुंचती हो या कहीं पर वह बूंद गिरी हो, वह एक टेबल भी हो सकता है, वह कोई कुर्सी भी हो सकती है, कोई सरफेस हो सकता है जिसमें जब तक वह कण जीवित है आपने अगर उसका स्पर्श किया, आपके हाथ में आया और आपके आंख, कान या मुंह तक ऐसे कण गए तो आपको फैल सकता है वरना नहीं। तो माननीय सदस्य ने जिस बात को रखा, कोई भी दूर का भी संदेह होता कि होली के रंग से या चीन से आने वाली किसी ऐसी वस्तु से संक्रमण हो सकता है तो निश्चित रूप से उसमें कदम उठाने में छत्तीसगढ़ सरकार कभी कोई संकोच नहीं करती। आपने जिंक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और लेड का भी उल्लेख किया तो जिंक और लेड से आपका आशय यह रहा होगा कि इतने प्रतिशत लोग उससे हो सकते हैं। इसमें भी जो प्रभावित लोग हो सकते हैं तो चार श्रेणियों में हम लोग देख रहे हैं कि कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं। (1)- ज्यादा प्रभाव जिनमें पड़ रहा है आपने एकदम सही कहा कि हमारे जो 60 साल से अधिक आयु के नागरिक हैं, लगभग 80 प्रतिशत इनमें ये संक्रमण विश्वभर में पाया जा रहा है। (2)-गर्भवती महिलाएं, (3)- पांच साल तक के बच्चे और (4)- जिनका इम्यूनो सिस्टम कम्प्रोमाईज हो गया है। मान लीजिए कि आपको एड्स है, और आपका बदन इम्यून सिस्टम संचालित नहीं कर पा रहा है, जीवित नहीं रख पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप टार्गेटेड ग्रुप में आ सकते हैं। और इनमें कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? अभी तक प्रभावित लोगों में मृत्यु का जो प्रतिशत पाया गया है वह 2.3 ही पाया गया है। तो बहुत ज्यादा बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, पूरी व्यवस्था करने की आवश्यकता है लेकिन कोई चिंता ऐसी हो कि छत्तीसगढ़ में भी अब ये फैल जायेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो जायेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से अभी किया है, वह विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की हमने पूर्ति कर ली है, कोरोना वायरस के लक्षण जांच करने के लिये प्रोटोकाल जारी हो गये हैं। वर्तमान जो स्थिति है, ये फ्लूयेड है, यह चेंज होता रहता है। जो हमने जानकारी दी है, मान लीजिए 26 वह 28 हो गयी, अभी 29, 30 हो सकती है। दंतेवाड़ा से एक सैंपल टेस्ट करने के लिये कल ही रास्ते में आया था। ये फ्लूयेड स्थिति है। आंकड़े को पकड़कर हम नहीं चल पा रहे हैं लेकिन इतने ही लोग वर्तमान में प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय, तैयारियों की दृष्टि से सभी रायपुर एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पर, एडवायसरी और एलर्ट के इसके डिसप्ले हैं। एयरपोर्ट और यात्रियों की स्केनिंग के लिये हेल्प डेस्क स्थापित हैं। राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिले स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम इनकी तैनाती कर दी गयी है। राज्य स्तर पर करोना वायरस के संबंध में सर्वेलन सैंपल संग्रहण संक्रमण से बचाव हेतु जिले के रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्यों, चिकित्सकों, लैब तकनीशियन, को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। जिला स्तर पर भी चिकित्सकों स्टॉफ नर्स, लैब तकनीशियन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो सदस्य इन बातों को सुनें, वह अपने से भी संतोषप्रद रहें कि ऐसी व्यवस्थाएं आपके प्रदेश में की गयी हैं और आप लोगों को भी बता सकते हैं। नोवोल कोराना वायरस इसका जो नया स्ट्रेन आया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में आइसोलेसन के बिस्तरों की व्यवस्था, माना में 30 बिस्तर, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में सैंपल कलेक्शन है। छत्तीसगढ़ में आईजीएमएमसी., नागपुर, पुणे और अब एम्स में भी इसकी व्यवस्था हो गयी है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिला चिकित्सालयों में वेंटिलेटर की व्यवस्था पी.पी.एन.95 मास, ट्रिपल ए. मास्क इत्यादि इनकी व्यवस्थाएं हैं और कमी पड़ने की स्थिति में हम लोग उसकी पूर्ति करने की भी योजना बनाकर तत्पर और तैयार हैं। इसमें दिक्कत नहीं जायेगी। उनको कैसे ट्रेस करना और कैस ट्रीटमेंट करना, यह भी ऐसी पूरी चार्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बनाकर रखे हैं, जहां से उनकी जानकारी प्रारंभिक रूप से मिलती है। स्वाभाविक रूप से पहले चीन का नाम आया। अब 77-78 देशों में भी लोगों के संक्रमण होने की जानकारी सामने आती जा रही है। तो सभी प्रोटोकाल और भारत शासन के भी संबंधित विभाग से सतत् संपर्क बना हुआ है, बना हुआ था। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के बाहर से आते हैं और संक्रमित देश से आते हैं, तो उसकी जानकारी तत्काल उन राज्यों को उपलब्ध करा दी जा रही है। राज्य सरकार के पास यह जानकारी आते सात जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी दे दी जा रही है। ताकि वहां पर उन लोगों का ध्यान दिया जाये, हम उनको फॉलो कर सकें, उनकी क्या स्थिति है ? अगर वह ऐसे कोई भी लक्षण दर्शाते हैं, आइसोलेसन करना, उनको घर में अलग से रखना, घर में अलग कमरे में रखना। क्या-क्या इत्यादि कार्य उनको करना चाहिए। उसको सुझाव बतौर एक विस्तृत तैयारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शासन ने और प्रशासन ने रखी हुई है। ऐसी स्थिति भी हमको मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर चीन से आ रही है, तो वह संक्रमित हो सकती है, (1)। अध्यक्ष महोदय, ये कीटाणु कितने समय के लिये जीवित रहेंगे। 12 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। जो इन्क्युबेशन पीरेड है, वह अब 8 घंटे से लेकर 28 दिन माना जा रहा है। अगर आपको सर गया तो उसके लक्षण दिखने में 8 घंटे से 28 दिन लग सकते हैं। सारी जानकारियों को लेकर, वैश्विक स्तर की जानकारियों को लेकर, राज्य राष्ट्र स्तर की जानकारियों को लेकर छत्तीसगढ़ भी तैयार है। यह मैं जरूर कहूंगा कि होली के लिये माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। होली वे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मेरे मन के अनुसार और मेरी राय के अनुसार होली खेलने में चिंता नहीं है। हमारे बीच का त्यौहार है, परंपरागत त्यौहार है। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल होली नहीं खेलना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप न खेलना चाहो, आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो जरूर एहतियात के तौर पर हम लोग यह भी बात जिला प्रशासन को पहुंचा देंगे कि लोगों को एक विकल्प दे दें कि ऐसा है तो आप थोड़ा सतर्कता से खेलिए। आपको सर्दी-खांसी है तो होली मत खेलिए। आपको कोरोना वायरस नहीं है तो भी आप मत खेलिए। वैसे भी सर्दी-खांसी है गीला रंग खेलिएगा तो बुखार हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार की advisory चाहेंगे तो हम लोग अवश्य करेंगे। ऐसे हम लोगों ने किया भी है, उसको दोहरा देंगे, लेकिन होली खेलने या अन्य किसी स्थिति से सामान्य रूप से विचरण से भी अभी छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी चिंता की स्थिति उत्पन्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्। आप बैठिए। आपने इस बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी दे दी है। आपकी सर्तकता जो छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है हम सब को उस बात से बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, हम सब को किसी को खतरा नहीं है। मगर क्या डब्ल्यू. एच.ओ. ने ये बताया है कि इस वायरस से कोरोना फैलता है या संक्रमित होता है। जस्ट ए मिनट। क्या आपके पास या भारत देश में उसके इलाज की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि इससे कोरोना वायरस का इलाज संभव है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सही सवाल है। अभी तक दुनिया में ये कोई दवाई चिन्हांकित नहीं की गई है कि इससे कोरोना वायरस क्योर हो जाएगा। यह पहली चीज है और दूसरी चीज जो उपचार के लिए दवाई उपलब्ध करवायी जा रही है पहले जो influenza के स्ट्रेन्ज आए थे, उनमें जो दवाई उपयोग में लायी जा रही थी वह दवाई उपलब्ध कराकर, उपचार बतौर की जा रही है, लेकिन अगर आप सच्चाई पूछेंगे तो सच्चाई यही है कि उसका शर्तिया ट्रीटमेंट। कल मीडिया में किसी ने पूछा कि ये शराब से ठीक हो जाएगा क्या ? अगर spirit का उपयोग 60 प्रतिशत से ऊपर potency का एल्कोहल किसी वस्तु में है अगर आप उससे हाथ साफ करते हैं तो वह कीटाणु करते हैं। सामान्य एल्कोहल (शराब) का कंटेंट 60 प्रतिशत से कम है तो उससे वह वायरस नहीं मरेगा। दूसरा, शराब सेवन तो बदन के अंदर जा रहा है। जो कीटाणु हैं, जब वह बाहर जाएंगे तब उसका असर होगा तो उससे असर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मीडिया ने एक और सवाल पूछा था कि सी.एम. साहब और आप भी बाहर(अमेरिका) गये थे। अब अमेरिका में भी वायरस था तो क्या हमको चिंता की बात है ? हमको कतई चिंता की बात इसलिये नहीं है क्योंकि आपको न सर्दी है और न खांसी है । यदि आपको सर्दी-खांसी है तो आपको, मुख्यमंत्री जी, हम सब ऐसी जगह से आये हैं तो हम सबको सैम्पल टेस्ट करा लेना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है वह symptomatic है, अगर आपके सर्दी-खांसी के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। मुझे भी है, लेकिन मैं बाहर नहीं गया। बात आयी कि कोरबा में चीज से जुड़े हुए लोग हैं या तो चीन के है या आने-जाने वाले हैं। अगर 2 फरवरी के पहले वे चीन से आये हों या चीन गये ही नहीं हो तो केवल चीन के हों या कभी चीन से संपर्क रखा हो, उससे वे कैरियर हो सकते हैं ऐसा नहीं है। incubation सरने, वायरस के जिंदा रहने का समय 12.00 घण्टा है तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ये जो दवाई का आपने पूछा है। osaltanare medicine दी जा रही है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बढ़िया अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि जिनमें एल्कोहल का कंटेंट रहता है हाथ धोने से कीटाणु मर जाते हैं। हमारे आबकारी मंत्री जी को निर्देश दे दीजिये, होली आ रही है तो कम से कम कुछ हाथ-वाथ धोने के लिए पहुंचवा दें।

अध्यक्ष महोदय :- आप osaltanare medicine के बारे में बता रहे थे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई दी जा रही है पहले के जो influenza के केसेस थे, उसमें जहां ये कारगर थी। ये क्योंकि वायरस का नया स्ट्रेन है तो अभी तक सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर जो दवाईयां विकसित हुई हैं उन्होंने इस स्ट्रेन पर काबू करने का अभी उनके पास गुण, हमारे पास ज्ञान नहीं है या हमने उसको डेवलप नहीं किया है, क्योंकि ये नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है। सामान्य दवाईयां इस स्ट्रेन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी तो वेट एण्ड वॉच वाला है। गो फॉर दी बेस्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वाला है। अगर आप संक्रमित हुए हैं तो मृत्यु दर संक्रमित लोगों का 2.3 प्रतिशत है। टोटल पापुलेशन का नहीं है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ नागरिकों के 2 प्रतिशत नहीं, जो संक्रमित हैं उनका दो प्रतिशत यानी अभी तक 30 लोगों की जानकारी मिली कि वे बाहर से आये थे, उन्हें सर्दी-खांसी है एक को भी लक्षण नहीं था। अगर लक्षण होता तो 2.3 प्रतिशत मृत्यु की स्थिति में हो सकते थे जो एक व्यक्ति भी नहीं होता तो एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज अभी विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए एहतियात बरतना और ज्यादा जरूरी है, हम ऐसे स्थान से आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिलासपुर में एक महिला इटली से आईं और इटली से आने पर उन्होंने एयरपोर्ट के काउंटर पर खुद घोषणा किया कि मैं इटली से आ रही हूं, मैं चाहती हूं कि मेरी जानकारी भी हो और मेरी जांच भी कराना हो तो मेरी जांच भी करा लीजिए। उनको अपने घर में राजेन्द्रनगर बिलासपुर की एक बस्ती है, वहां पर आइसोलेशन में रखा गया है। उनके परिवार वालों को भी सलाह दी गई है कि ज्यादा लोगों से मत मिलयेगा, और पक्का हो जाये क्योंकि आपके लक्षण 28 दिन में आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता है कि आगे आकर हम खुद जानकारी दें। हमारे पड़ोस में कोई बाहर से आया हो तो हम पता कर लें, प्रशासन को बता दें, अगर वह खुद न जा रहे हों, बाकी चिंता की बात इससे ज्यादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कहा कि 60 प्रतिशत अल्कोहल हो और उससे हाथ धो लिया जाये तो ये बीमारी के कीटाणु बाई दवे आ गये हैं तो साफ हो जाते हैं ऐसी यहां छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने शराब बनते हैं जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा एल्कोहल होता है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। स्पिरिट के रूप में हम जिसको जानते हैं, अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट उससे ज्यादा है या आजकल बाजार में काफी सैनिटाइजर इस्तेमाल होता है तो अल्कोहल कंटेंट बेस सैनिटाइजर अगर है, ये भी बात आई थी कि कुछ और आयुर्वेदिक इत्यादि सैनिटाइजर हैं, अगर हम उससे हाथ धोते हैं तो ये मन में नहीं होना चाहिए कि कीटाणु मरेंगे। लेकिन अगर आपका सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल कंटेंट उस प्रतिशत से ज्यादा का है, उससे मरेंगे। या आप साबुन से हाथ धोयें और आप 20 सेकंड तक हाथ को साबुन से मलते रहें तो स्पिरिट की भी जरूरत नहीं है, माननीय कवासी भाई की भी मदद नहीं लगेगी। (हंसी) सामान्य साबुन से हाथ को 20 बार मल लें, अगर एक बार हाथ घुमाने में एक सेकंड लगता है, तो सामान्य साबुन से धोने पर हम 20 से 25 बार हाथ को मल लें तो उतने में वह कीटाणु खत्म हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी यह बाप बुरा न मानें, आपने अपने उत्तर में कहा है कि W.H.O. से वर्तमान में प्राप्त जानकारी अनुसार रंग गुलाल, पिचकारी एवं अन्य मुखौटे आदि के उपयोग से कोरोना वायरस संचारण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसको W.H.O. ने प्रमाणित किया है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, W.H.O. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक इकाई होने के कारण..।

अध्यक्ष महोदय :- क्या इस ध्यानाकर्षण आने के बाद आपके अधिकारी या आपके विभाग ने W.H.O. से संपर्क किया ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। उनकी एडवाइजरी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है। माननीय मंत्री जी आपने बहुत अच्छा विस्तारित जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी बात है कि चाईना से आये हुए जो रंग गुलाल हैं, क्या आपने उसका टेस्ट करा लिया है कि उससे किसी प्रकार से प्रदेश की जनता को खतरा नहीं है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप चाहेंगे तो टेस्ट भी करा लेंगे। पर उसमें होने के लक्षण संभव ही नहीं हैं। अगर गुलाल में होंगे तो आपके फर्नीचर में होगा, न जाने किस-किस में हो जायेगा। वह ड्रापलेट्स प्रसारित होने वाला एक वायरस है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तमाम जो वायरस आते हैं, वह अफवाह में ज्यादा फैलता है, वास्तविकता कम रहती है, अफवाह ज्यादा रहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी अफवाह आई है। दुर्ग में कोरोना वायरस का लक्षण पाया गया, दंतेवाड़ा में एक प्रभावित हैं, क्या वास्तव में कोई ऐसा लक्षण छत्तीसगढ़ में भी है या कोरोना वायरस से प्रभावित कोई मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ में मिले हैं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका लक्षण सर्दी-खांसी है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे आपने दंतेवाड़ा का भी बताया, बहुत लोग स्वयं अपने आप आगे आकर कह रहे हैं, अंबिकापुर का एक स्टूडेंट था, उनने आगे आकर कहा कि मैं बाहर से आया हूं, मुझे सर्दी-खांसी है, मेरे को जांच कर लो। जिनको सर्दी-खांसी है, उनको कोरोना वायरस हो सकता है, अगर वह बाहर से संक्रमित क्षेत्र से आये हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जितनी रिपोर्ट आई हैं, अभी शून्य (पाजिटीव) हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (26) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

13. श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य

17. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, श्री रामकुमार यादव, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

20. श्री शैलेश पांडे, सदस्य

21. श्री शैलेश पांडे, सदस्य

26. श्री शैलेश पांडे, सदस्य

समय :
1.05 बजे

नियम 267 "क" के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा -

01. श्री नारायण चंदेल
02. श्री संतराम नेताम
03. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
04. श्री प्रकाश नायक
05. श्री गुलाब कमरो

समय :
1:06 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री बघेल लखेश्वर
02. श्री रामकुमार यादव

समय :
1:06 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान किया जाये"

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि "यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान किया जाये" । माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनांतर्गत पशुधन की सुरक्षा एवं समृद्धि हेतु निजी भूमि एवं सार्वजनिक भूमि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में मवेशी आश्रय निर्माण किये जाने का प्रावधान है । छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप में दिन में अधिकांश समय पशुधन को ग्राम के जिस स्थान विशेष में एकत्रित कर रखा जाता है उसे गोठान कहा जाता है ।

समय :
1:07 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकत्रित पशुधन की देखरेख ग्राम द्वारा नियुक्त चरवाहों द्वारा की जाती है । सुरक्षा के अभाव में एक ओर पशुओं से फसलों को नुकसान होता है वहीं दूसरी ओर सड़क एवं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है अत: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन की सुरक्षा एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक गोठानों को विकसित एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है । महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी मवेशियों के आश्रय निर्माण का प्रावधान है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठानों को अनुमय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मजदूरी भुगतान किये जाने के प्रावधान हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जाना उचित होगा । उक्त प्रावधान किये जाने से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि के साथ ही गोठान से जुड़े चरवाहों एवं स्वसहायता समूहों को रोजगार एवं सतत् आजीविका प्राप्त होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि कार्य को घाटे का सौदा माना जाता है । कृषि का उत्पादन लागत ज्यादा होने के कारण किसान कर्जे में डूब जाता है । कृषि कार्य जैसे खेतों की जुताई, बोवाई, रोपाई, निंदाई, कटाई आदि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने से किसानों को लागत कम आयेगी और किसानों को लाभ होगा । छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के धान को 2500 रूपये प्रतिक्विंटल में खरीदने का काम कर रही है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा होने से मनरेगा के माध्यम से जो भी चरवाहे होंगे उनको मानदेय मिलेगा । खेतों से कटाई के उपरांत पैरा संकलन एवं गोठान में परिवहन की व्यवस्था होगी उसके साथ-साथ गोठानों के देखरेख हेतु चौकीदार का मानदेय मिलेगा । इसके अतिरिक्त कृषि में मुख्य कार्य जैसे रोपाई एवं गन्ना तथा धान की कटाई को भी मनरेगा से जोड़े जाने की अनुशंसा होनी चाहिए । इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो खुले में हमारे गाय-बैल रहते हैं उससे कहीं न कहीं हमारी फसल को सुरक्षा मिलेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ - यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान किया जाय ।''

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मरकाम जी के अशासकीय संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मरकाम जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है उसे वे पूरा करें । उपाध्यक्ष महोदय, इससे न केवल हमारे गोठान सुचारू रूप से संचालित होंगे, बल्कि ऐसा करने से हमारा गौ-धन भी सुरक्षित रहेगा । जिसे हम गौ माता कहते हैं, हम उसकी सेवा कर पाएंगे । उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि खेतों में पैरा न जलाया जाए । माननीय मरकाम जी के संकल्प में भी इस बात का उल्लेख है कि खेतों के पैरे को चारे के रूप में काम में लिया जाए, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को भी मनरेगा से जोड़ा जाए, धन्यवाद।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोहन मरकाम जी द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूं । केन्द्र सरकार से अनुरोध भी करती हूं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गोठान को अनुमेय करने के लिए चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का जो प्रावधान किया गया है, उसका समर्थन करती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण किसान हैं, गांव में रहते हैं और चरवाहा दिनभर मेहनत मजदूरी करता है । यह गोठान की सुविधा डे-केयर की सुविधा है । इस डे-केयर में गांव के सभी किसान दिन भर में अपने पशुओं को गोठान में रखेंगे । हमारे चरवाहों के लिए काम ज्यादा हो जाएगा । अगर गोठान नहीं रहता है तो चरवाहा सारे गांव के पशुओं को चराने ले जाता है और शाम को सभी के घर में वापस लाता है । साथ ही गांव में बायो-गैस की सुविधा, जैविक खाद की सुविधा और गोठान से संबंधित कार्यों को मनरेगा में जोड़ा जाएगा तो यह उचित होगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के समर्थन के साथ ही इसे यहां सर्वसम्मति से पारित किए जाने का अनुरोध करती हूं, धन्यवाद् ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- उपाध्यक्ष जी, माननीय मोहन मरकाम जी के द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा का मूल उद्देश्य प्रदेश के श्रमिक को रोजगार देना है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोजगार का अभाव कहें या मनरेगा में पर्याप्त काम न मिलना कहें, छत्तीसगढ़ प्रदेश से मजदूर पलायन कर रहे हैं । इसके माध्यम से चाहे गोठान की बात रहे या सरकार की अन्य योजना की बात रहे, यदि उसमें गांव के लोगों को मनरेगा के माध्यम से काम मिलता है तो उसका थोड़ा बहुत समाधान भी होगा । उपाध्यक्ष महोदय, अन्य विभागों के माध्यम से वानिकी विभाग कोसा उत्पादन के लिए पौधा लगाता है । वहां जो काम करने वाले हैं, पौधा लगाने वाले हैं, चौकीदार हैं, निगरानी करने वाले हैं, मनरेगा के माध्यम से ही उन्हें पैसा मिलता है । अगर यह शत प्रतिशत सफल हो जाए तो गांव के लोगों को लाभ मिलेगा । इसलिए यहां गौठान में काम करने वाले या कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों को मनरेगा से जोड़ा जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद् ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मोहन मरकाम जी के अशासकीय का समर्थन करती हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान के साथ समस्त कृषि कार्यों को मनरेगा से जोड़ा जाये"। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गोठान में चरवाहा है, वह सुबह से लेकर रात तक कार्य करते हैं और अभी हमारी सरकार गोठान को आधुनिक गोठान बनाने के लिए संकल्पित है और वहां जैविक खाद के साथ-साथ बायो गैस और बायो गैस के साथ-साथ स्व-सहायता महिला समूहों की बहनों के लिए विभिन्न कुटीर उद्योगों के आय का साधन बनाने के लिए संकल्पित है। वहां पूरे टाइम देख-रेख करने की आवश्यकता है। पुराने जमाने में यह होता था कि गांव के ग्रामीण लोग उन्हें जेवर देते थे। जेवर प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है। उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। उनके उत्थान के लिए उनकी भी आर्थिक स्थिति को और उन्नत करने के लिए यदि शासन से सहायता मिल जायेगी तो उस वर्ग का उत्थान होगा और राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं, वे आसानी से हल होंगी। मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूं कि उन्को मनरेगा से जोड़ा जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे विषय को प्रस्ताव के रूप में रखा है जो हमारे दल की घोषणा-पत्र का भी हिस्सा था। देश में भी इस बाबत् चिंतन हो रहा है कि कृषि कार्य की मजदूरी भी अगर हम मनरेगा से दें तो मनरेगा के जो फंड हैं, उसका आने वाले समय में सतत् उपयोग भी होता रहेगा। हम उस दृष्टिकोण से देखें कि हमने मनरेगा के लिए कौन से कार्य आरक्षित किये हैं। मान लीजिए तालाब बनाने का कार्य है, सड़क बनाने का कार्य है और कुछ ऐसे कार्य हैं। हमने गांव के सारे सड़क बना लिये। जितने तालाब की आवश्यकता है तालाब बना लिया, अब मनरेगा के पैसे से क्या करेंगे? देश भर में यह चिंतन चल रहा है कि मनरेगा के फंड्स को और भी कार्यों में उपयोग करने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए और गोठान जिसके निर्माण में मनरेगा के फंड्स उपयोग में लाये ही जा रहे हैं, उसके संचालन में भी अगर मनरेगा के फंड्स को लगाया जाये तो मैं समझता हूं कि सदन को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और यदि हम सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह सही दिशा में एक ठोस कदम होगा। साथ ही कृषि कार्य की मजदूरी को भी अगर हम इसके दायरे में लाते हैं तो शासन को कोई आपत्ति नहीं है। हम सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- संशोधन के साथ इस पर मत लेता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देख-रेख करने वाले चरवाहों कों मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान के साथ समस्त कृषि कार्यों की मजदूरी को भी मनरेगा से जोड़ा जाये।"

यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित शेष दो अशासकीय संकल्प आगामी दिवस में लिये जायेंगे।

समय :
1:20 बजे

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(दोपहर 01 बजकर 20 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 06 मार्च, 2020

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं